भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur
डी–148, आर. एस.ई.बी. सब–स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर–302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org

क्रमांक 23061/भाराराप्रा/जेपीआर/वन/2024/1026 दिनांक 19.07.2024

उपवन संरक्षक
अलवर

विषय: Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll Plaza between Km 115.00 to Km 116 at Delhi-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भः 1) इस कार्यालय का पत्रांक 227 दिनांक 29.04.2024
2) आपका पत्र संख्या 7978 दिनांक 10.07.2024
3) इस कार्यालय का पत्रांक 950 दिनांक 12.07.2024
4) आपका पत्र संख्या 8108 दिनांक 18.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव के पार्ट–2 में आप द्वारा उल्लंघन के दोषी अधिकारी के रूप में केवल परियोजना निदेशक का नाम अंकित किया गया है, जिसके नाम के सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 01.04.2022 द्वारा पूछे जाने पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.11.2022 द्वारा श्री राकेश गुप्ता, तत्कालीन परियोजना निदेशक के बारे में अवगत करवा दिया गया था।

आपके पत्रांक 315 दिनांक 18.01.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक जयपुर के पत्रांक 1423 दिनांक 01.03.2023 द्वारा अग्रेसित रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "तत्कालीन परियोजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता थे परन्तु किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझ कर उल्लंघन नही किया गया है अतः कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गयी है।" उक्त संदर्भ को ही नोडल अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अग्रेसित किया गया था।

कृपया भारत सरकार के ईडीएस दिनांक 15.06.2023 का अवलोकन करें। भारत सरकार द्वारा अवगत करवाया गया है कि उनके पत्र दिनांक 15.05.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन द्वारा उल्लंघन के प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित उपवन संरक्षक को अधिकृत किया गया है। वर्तमान प्रकरण में उक्त अधिसूचना के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।

चूंकि वन विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित अनुसार सिफारिश की जा चुकी है कि "किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझकर उल्लंघन नही किया गया है अतः कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गयी है।" अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं विभाग द्वारा की गयी सिफारिश के क्रम में उक्त प्रकरण को निर्णीत कर समाप्त करने की कृपा करें।

for **परियोजना निदेशक**
भाराराप्रा पकाई जयपुर

प्रतिलिपि : नोडल आफिसर (एफसीए), राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल के पास, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः– एफ 17 ( ) सर्वे/उवस/2024–25/ 8108 दिनांक : 18/07/2024

निमित्

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
परियोजना कार्यान्चन ईकाई, जयपुर।

विषय – Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll Plaza between Km 115.00 to 116 at Delhi-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diverision proplsal under forest Conservation Act, 1980-reg.

संदर्भः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 1978 दिनांक 10.07.2024 एवं आपका पत्रांक 950 दिनांक 12.07.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि वन भूमि प्रत्यार्वतन प्रस्ताव सं0 FP/RJ/ROAD/41266/2019 में आप प्रयोक्त एजेन्सी नामित थे। इस प्रस्ताव के प्रत्यावर्तन प्रकियाधीन है। परन्तु संदर्भित द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि नियत प्रकिया से पूर्व ही आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन करते हुये वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य संपादित किया गया है। इसके संबध में निम्न बिन्दुओ की जानकारी प्रस्तुत करे।

अतः आप इस संबध में भारत सरकार की सैदान्तिक स्वीकृति के बिन्दु सं0 06 की पालना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंनकर्ताओ के नाम एवं पतें की जानकारी भिजवायें।

01. शांहजहापुर टोल प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे तत्कालीन परियोंजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता का नाम दिया है परन्तु आप द्वारा उनका वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम एवं पता, मोबाईल नं0 नही भिजवाये है यदि सेवानिवृत हो गये है तो उनके निवास स्थान का पता एवं मोबाईल नं0 भिजवायें।
02. शांहजहापुर टोल प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे परियोंजना प्रबन्धक का नाम, वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम एवं पता, तथा मोबाईल नं0।
03. शांहजहापुर टोल प्लाजा बनाने वाले निर्माणकर्ता एजेन्सी के नाम, वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम एवं पता, तथा मोबाईल नं0।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त उल्लघंन के संबध में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में पुनः इस कार्यालय को 03 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिसमें यह स्पष्ट करे कि क्यों ना आपके विरूद्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की जावे, यदि आपके द्वारा समयावधि में स्पष्टीकरण एवं बिन्दु 1,2,3 की सूचना प्रस्तुत नही किया जाता है तो आपके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
अलवर

क्रमांकः– एफ 17 ( ) सर्वे/उवस/2024–25/ 8109 दिनांक : 18/07/2024

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
अलवर

Contact Us : 0144-2701923 (O)
Email ID : alwardcf@gmail.com
Computer//D:\04.04.2019\Van_Apradh /Letter Gen.docx (591)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur
डी–148, आर. एस.ई.बी. सब–स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर–302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
दूरभाष / Phone: 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org

क्रमांक: 23061/भाराराप्रा/जपीआर/वन/2024/950

दिनांक:12.07.2024

उपवन संरक्षक
अलवर

विषय: Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll Plaza between Km 115.00 to Km 116 at Delhi-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980-reg

संदर्भ :1) आपका पत्र संख्या 7978 दिनांक 10.07.2024
2) इस कार्यालय का पत्रांक 227 दिनांक 29.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विषयान्कित प्रकरण में विस्तृत वस्तुस्थिति इस कार्यालय का पत्रांक दिनांक 29.04.2024 द्वारा नोडल ऑफिसर को अवगत कराते हुए प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित की गयी थी। जिसमें स्पष्ट किया गया था कि प्रकरण में उल्लेखित 2.852 हैक्टेयर पूर्व में स्वीकृत किये गये 92 हैक्टेयर में सम्मिलित था । इसकी पुष्टि में आपके कार्यालय के, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के, नोडल ऑफिसर के एवं राज्य सरकार के द्वारा लिखे गये विभिन्न पत्रों का उल्लेख किया गया है, संबंधित पत्रों की प्रतिलिपि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.04.2024 के संलग्न की गयी है।

आपके संदर्भित पत्र दिनांक 10.07.2024 में सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 06 की पालना का उल्लेख किया गया है, जबकि वर्तमान प्रकरण में कोई सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी नही की है। आप संभवतयाः पूर्व में जारी स्वीकृति दिनांक 08.09.2009 का उल्लेख कर रहे है, जबकि उक्त स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2015 को निरस्त की जा चुकी है, जिसकी अब पालना कराने का कोई औचित्य नही है। वर्तमान प्रकरण संख्या 41266/2019 में प्रथमतः वन संरक्षण अधिनियम का कोई उल्लंघन नही किया गया है, जो इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2226 दिनांक 14.12.2023 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। फिर भी आपके पत्र दिनांक 01.04.2022 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 581 दिनांक 03.06.2022 द्वारा तत्कालीन परियोजना निदेशक के नाम से अवगत करवाया जा चुका है।

आपको अवगत करवाना उचित होगा कि इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव संख्या 41266/2019 में मूल रूप से KML file, DGPS map & GT Sheet map 0.024 हैक्टेयर के अनुसार संलग्न किये गये थे। नोडल आफिसर के ईडीएस दिनांक 16.08.2019 द्वारा पुराने आवेदिक वन क्षेत्र 2.852 हैक्टेयर के अनुसार संलग्न करने के निर्देशानुसार पुराना क्षेत्र 2.852 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया। वास्तव में टोल प्लाजा 0.024 हैक्टेयर क्षेत्र में ही बना हुआ है जो प्रस्ताव के संलग्न नक्शे में भी स्पष्ट है।

प्रस्ताव में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रसारित क्षेत्र परिपत्र दिनांक 05.08.1978 के अनुसार वन क्षेत्र बताया गया है। वर्ष 1978 में यह राजमार्ग 2 लेन का था जिसके दोनो तरफ

उपलब्ध हरित पट्टी जो कि उक्त परिपत्र के अनुसार वन क्षेत्र था। इस वन क्षेत्र को वर्ष 1996 में 4 लेन बनाते समय अनारक्षित करवा लिया गया था। 4 लेन निर्माण के समय अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की गयी थी जिस पर उक्त परिपत्र लागू नही होता है। वर्तमान प्रकरण में सम्मलित भूमि एवं 6 लेन सडक निर्माण में शामिल अतिरिक्त भूमि वास्तव में उक्त परिपत्र के दायरे से बाहर होने के कारण इन पर एफसीए लागू नही होता है।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आपके पत्र दिनांक 18.01.2023 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, जयपुर द्वारा भी उनके पत्र क्रमांक 1423 दिनांक 01.03.2023 द्वारा भी प्रस्तावित किया गया है कि तत्कालीन परियोजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता थे परन्तु किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझकर उल्लघंन नही किया गया है। अतः कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गयी है।

यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरणों के निस्तारण हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 29.01.2018 द्वारा गाईडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुसार :–

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC :

i) The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii) In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

iii) State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.

iv) User agency responsible for violation shall be prosecuted under local Act of the state for unauthorized under of forest land without the permission of state authority.

उपरोक्त परिपत्र के अनुसार भी यूजर एजेन्सी से Penal NPV ली जानी है, (प्रकरण में मात्र 240 वर्ग मीटर क्षेत्र में टोल प्लाजा बनाया गया है) तथा राज्य के स्थानीय नियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण में राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जुर्माना वसूल किया जा चुका है, जिसका उल्लेख आप द्वारा प्रस्ताव के भाग II में भी किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर निवेदन है कि प्रकरण में भाराराप्रा के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित नही होने से प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट करें।

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा पकाई जयपुर

प्रतिलिपि : नोडल आफिसर (एफसीए), राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्मरण पत्र –1

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल के पास, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

घर-घर औषधि यो

क्रमांक : एफ18(63)एफसीए / उवसं–अल. / 2021 / 1978 दिनांक : 10-07-24

प्रेषितः–

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, जयपुर।

विषयः– Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 5233 दिनांक 13.04.2024 Proposal No. : FP/RJ/ROAD/41266/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/RJ/ROAD/41266/2019 में आप प्रयोक्ता एजेन्सी नामित है। इस प्रस्ताव के प्रत्यावर्तन प्रकियाधीन है। परन्तु संदर्भित पत्रों द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि नियत प्रकिया से पूर्व ही आपके द्वारा वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन करते हुए वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य संपादित किया गया है। इसके संबंध में निम्न बिन्दु की जानकारी प्रस्तुत करे।–

अतः आप इस संबंध में भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 06 की पालना में वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघनकर्ताओं।

1. शाहजहांपुर टोल –प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे परियोजना निदेशको के नाम, पता तथा मोबाईल नं0
2. शाहजहांपुर टोल –प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे परियोजना प्रबंधको के नाम, पता तथा मोबाईल नं0
3. शाहजहांपुर टोल –प्लाजा बनाने वाली निर्माणकर्ता एजेन्सी को नाम, पता तथा मोबाईल नं0

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में पुनः इस कार्यालय को 07 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिसमें यह स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की जाये ? यदि आपके द्वारा समयावधि में स्पष्टीकरण एवं बिन्दु 1,2,3 की सूचना प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लेली जावेगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा, IFS)
उप वन संरक्षक,
अलवर

F:\my\fca \Letter fca553

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur
डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org

क्रमांकः भाराराप्रा/जेपीआर/एनओसी/2024/227

दिनांकः 29.04.2024

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर
ईमेल–apccf.fca.forest@rajasthan.gov.in

विषयः–Diversion of 2.85 Ha. of forest land for construction of toll plaza between km. 115.000 to Km. 116.000 on Delhi-Jaipur section of NH-08 (New NH-48) District Alwar, Rajasthan, FCA Proposal No. FP/RJ/ROAD/41266/2019

संदर्भः–
1. पर्यावरण एंव वन मत्रांलय, भारत सरकार पत्रांक 8–103/95–एफसी दिनांक 21.06.1996
2. उपवन संरक्षक–अलवर का पत्र क्रमांक 4757 दिनांक 21.05.2007
3. भाराराप्रा पकाई जयपुर का पत्रांक 449 दिनांक 27.06.2007
4. उपवन संरक्षक–अलवर का पत्र दिनांक 03.09.2007
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का पत्रांक 8724 दिनांक 23.10.2007 जो उपवन सरक्षक–अलवर को सम्बोधित
6. भाराराप्रा पकाई जयपुर का पत्र दिनांक 27.07.2007
7. उपवन सरक्षक अलवर का पत्र कंमाक 10637 दिनांक 29.10.2007
8. नोडल ऑफिसर वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक 9165 दिनांक 03.11.2007
9. शासन उप सचिव, वन विभाग का पत्रांक 2007 दिनांक 03.12.2007
10. नोडल अधिकारी वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक 2050 दिनांक 14.02.2008
11. शासन उप सचिव, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक 07 दिनांक 12.03.2008
12. भाराराप्रा का पत्रांक 141 दिनांक 21.04.2008
13. उपवन संरक्षक अलवर का पत्रांक 6510 दिनांक 30.05.2008
14. उपवन संरक्षक अलवर का पत्रांक 7424 दिनांक 19.06.2008
15. नोडल ऑफिसर वन विभाग,राजस्थान पत्रांक 7028 दिनांक 28.06.2008
16. अति. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान का पत्रांक प01(139)वन/2007 दिनांक 26.07.2008
17. उपवन संरक्षक अलवर का पत्रांक 10203 दिनांक 12.09.2008
18. नोडल ऑफिसर वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक 10420 दिनांक 16.10.2008
19. अति. सचिव, वन विभाग राजस्थान पत्रांक प01(139)वन/2007 दिनांक 18.06.2009
20. उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) वन विभाग, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 8बी/राज/06/13/2009/एफसी/253 दिनांक 18.06.2015
21. उप वन संरक्षक, वन विभाग राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक पत्रांक 677 दिनांक 08.09.2009
22. नोडल अधिकारी अति. प्रधान मुख्या वन संरक्षक राजस्थान का पत्रांक 4369 दिनांक 15.07.2015
23. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक 1706 दिनांक 23.05.2019
24. भाराराप्रा पकाई जयपुर का पत्र क्रमांक 281 दिनांक 29.04.2019
25. मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन जयपुर का पत्रांक 1706–10 दिनांक 23.05.2019
26. भाराराप्रा पकाई जयपुर का पत्रांक 669 दिनांक 06.06.2019
27. उपवन संरक्षक अलवर का पत्रांक 5653 दिनांक 11.08.2021
28. भाराराप्रा पकाई जयपुर का पत्रांक 281 दिनांक 29.04.2019
29. उपवन संरक्षक अलवर का पत्रांक 1915 दिनांक 01.04.2022
30. भाराराप्रा पकाई जयपुर का पत्रांक 581 दिनांक 03.06.2022
31. उपवन संरक्षक अलवर का पत्रांक 3738 दिनांक 19.11.2023
32. उपवन संरक्षक अलवर का पत्रांक 4107 दिनांक 31.01.2024
33. उपवन संरक्षक अलवर का पत्रांक 5233 दिनांक 13.04.2024

महोदय,

1. दिनांक 23.04.2024 को माननीया अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान सरकार के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपरोक्त प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गयी थी। बैठक में एसीएस महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट बनाकर आपको प्रेषित करें। जिसके क्रम में यह रिपोर्ट प्रेषित है।

2. उपरोक्त प्रकरण 2.852 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने की स्थिति पर लम्बित है। प्रकरण में वर्ष 2006 में ही टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना दर्शाते हुए वन संरक्षण अधिनियम 1980 की अवमानना एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचाराधीन है।

3. पूरे प्रकरण का गहनता से अध्ययन करने एवं पूर्व में हुए पत्राचार का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रस्तावित 2.852 हैक्टेयर भूमि पूर्व में भारत सरकार द्वारा 21.06.1996 को 92 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी स्वीकृति में शामिल है।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कि.मी. 115.5 पर जो टोल प्लाजा बनाया गया है वह पूर्व में स्वीकृत भूमि पर ही है तथा टोल प्लाजा विस्तार हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि पृथक से अधिग्रहित की गयी है, जिसका स्पष्ट अंकन प्रस्ताव के संलग्न नक्शे में किया गया है। नक्शे में रोड के एक तरफ 18.63 मीटर और दूसरी 5.37 मीटर पट्टी का हरे रंग से अंकन किया गया है तथा इन्ही दो पट्टियों का क्षेत्रफल 2.852 हैक्टेयर अंकित किया गया है। टोल प्लाजा के विस्तार में आवश्यक अतिरिक्त भूमि को नक्शे में गैर वन भूमि अंकित किया गया है। हरे रंग की पट्टी की लम्बाई लगभग 1190 मीटर है जबकि टोल प्लाजा मात्र 10 मीटर की लम्बाई में बना हुआ है।

5. भाराराप्रा, वन विभाग एवं राजस्थान सरकार के मध्य वर्ष 2007 से 2009 के मध्य हुए विभिन्न पत्राचारों में उपवन संरक्षक–अलवर, मुख्य वन संरक्षक –जयपुर, नोडल ऑफिसर एवं राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया गया है कि प्रस्ताव में उल्लेखित 2.852 हैक्टेयर भूमि पूर्व में स्वीकृत 92 हैक्टेयर भूमि का भाग है।

6. वन विभाग ने सभी स्तरों पर यह स्वीकार किया है कि 2.852 हैक्टेयर भूमि पूर्व में स्वीकृत 92 हैक्टेयर भूमि का भाग है, मात्र 240 वर्गमीटर भूमि जो स्वीकृत में तो शामिल है किन्तु उसके उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति की आवश्यकता है।

7. परियोजना निदेशक भाराराप्रा, कोटपूतली ने अपने पत्र दिनांक 21.04.2008 से स्पष्ट कर दिया था कि 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति की आवश्यकता नही थी क्योंकि टोल प्लाजा निर्माण भूमि उपयोग परिवर्तन नही है।

8. उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु कृपया निम्न दस्तावेजो का अवलोकन करें :–

   i) प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/41266/2019 के संलग्न नक्शे।

   ii) भारत सरकार के पत्रांक 8–103/95–एफसी दिनांक 21.06.1996 द्वारा कि.मी. 107.180 से 162.500 की 92 हैक्टेयर वन भूमि की प्रत्यावर्तन स्वीकृति।

   iii) उपवन संरक्षक–अलवर द्वारा 20–25 वर्गमीटर क्षेत्र में मूझा घास सफाई करने बाबत वन अपराध दर्ज कर एफआईआर दिनांक 21.07.2007 जारी की गयी। बाद में मामले को 5100/– रूपये जुर्माना वसूल कर कपाउण्ड कर दिया गया।

iv) उपवन संरक्षक–अलवर के पत्र क्रमांक 4757 दिनांक 21.05.2007 के निर्देशानुसार भाराराप्रा द्वारा 2.852 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव दिनांक 27.06.2007 को प्रेषित किया गया।

v) उपवन संरक्षक–अलवर द्वारा दिनांक 03.09.2007 को प्रस्ताव संलग्न पार्ट–II में उल्लेख किया गया है कि *" Work was started by clearing few munj grass in 20-25 mtr. Patch. The work was stopped by RFO and a FIR was loged on 21.07.07, 3738/1. The Contractors did not carry out any work after that and agreed that they were ignorant of the land status. The case was compounded for Rs. 5100/- later on. No work was carried out after that"*

vi) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का उपवन सरक्षक–अलवर को सम्बोधित पत्रांक 8724 दिनांक 23.10.2007 की प्रति, जिसमें उन्होने स्पष्ट किया गया है कि *'यदि पूर्व में प्रत्यावित वन भूमि के उपयोग मात्र में ही कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो इसके लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन के नये प्रस्ताव भिजवाये जाना आवश्यक नही है, परन्तु उपयोग परिवर्तन की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। यदि पूर्व में प्रस्तावित भूमि उपयोग यथावत रहता है तो स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी। यदि पूर्व में प्रत्यावर्तित वन भूमि के बाहर गैर वन भूमि पर नये भवन निर्माण सम्बन्धित गतिविधियां यूजर एजेन्सी द्वारा करवाई जा रही है तो इस सम्बन्ध में वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नही है''।*

vii) भाराराप्रा द्वारा उपवन सरक्षक अलवर को सम्बोधित पत्र दिनांक 27.10.2007 जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि टोल प्लाजा निर्माण हेतु पूर्व में प्रत्यावर्तित भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा मात्र 240 वर्गमीटर प्रत्यावर्तित वन भूमि के उपयोग में स्पेस फ्रेम द्वारा जीआईसी छत का निर्माण होगा।

viii) उपवन सरक्षक अलवर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र दिनांक 23.10.2007 (बिन्दु (iv) पर अंकित) का प्रतित्युतर पत्रांक 10637 दिनांक 29.10.2007 द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होने स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित 2.852 हैक्टेयर भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर भूमि में शामिल है। 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग परिवर्तन होगा जिसकी स्वीकृति लिया जाना उचित होगा।

ix) नोडल ऑफिसर का शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार को सम्बोधित पत्रांक 9165 दिनांक 03.11.2007, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित 2.852 हैक्टेयर भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर भूमि में शामिल है। 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग परिवर्तन होगा जिसकी स्वीकृति लिया जाना उचित होगा।

x) शासन उप सचिव, वन विभाग का प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सम्बोधित पत्र दिनांक 03.12.2007 जिसमें 2.852 हैक्टेयर भूमि 92 हैक्टेयर में शामिल होने तथा 240 वर्गमीटर के उपयोग परिवर्तन होने बाबत स्पष्ट नही होना अंकित किया।

xi) नोडल अधिकारी का शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार को सम्बोधित पत्रांक 2050 दिनांक 14.02.2008, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित 2.852 हैक्टेयर भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर भूमि में शामिल है। 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग परिवर्तन होगा जिसकी स्वीकृति लिया जाना उचित होगा।

xii) शासन उप सचिव, वन विभाग का प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सम्बोधित पत्र दिनांक 12.03.2008 जिसमें उनके द्वारा पूछा गया है कि

(i) क्या पेडों को काटने की स्वीकृति भी भारत सरकार से लेनी होगी ?

(ii) क्या उपरोक्त कार्य अभी होना है या मौके पर हो चुका है ?

(iii) एक बार डायवर्जन की स्वीकृति दी हुई तो फिर स्वीकृति क्यों मांगी जा रही है?

(iv) टोल प्लाजा का लोकेशन कहां होगा?

xiii) राज्य सरकार के उक्त पत्र दिनांक 12.03.2008 के प्रतित्युतर में परियोजना निदेशक, भाराराप्रा द्वारा उपवन संरक्षक अलवर को सम्बोधित पत्रांक 141 दिनांक 21.04.2008 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि

i. कार्य प्रगति पर है।
ii. टोल प्लाजा की लोकेशन 115.500 कि.मी है।
iii. पेडों की कटान की स्वीकृति पूर्व प्रत्यावर्तत की स्वीकृति में शामिल है। पेडों की निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।
iv. भूमि उपयोग परिवर्तन नही हो रहा है अतः संशोधित वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति की आवश्यकता नही है।

xiv) उपवन संरक्षक अलवर का मुख्य वन संरक्षक जयपुर को सम्बोधित पत्रांक 6510 दिनांक 30.05.2008 जिसके द्वारा परियोजना निदेशक भाराराप्रा का उपरोक्त पत्र दिनांक 21.04.2008 अग्रेसित किया गया ।

xv) उपवन संरक्षक अलवर का मुख्य वन संरक्षक जयपुर को सम्बोधित पत्रांक 7424 दिनांक 19.06.2008 जिसके द्वारा राज्य सरकार का उपरोक्त पत्र दिनांक 12.03.2008 प्रतित्युर प्रस्तुत किया

xvi) नोडल ऑफिसर का राज्य सरकार को अग्रेसित पत्रांक 7028 दिनांक 28.06.2008 जिसके द्वारा उनके पत्रांक 12.03.2008 का प्रतित्युर अग्रेसित किया गया।

xvii) राज्य सरकार का नोडल अधिकारी को सम्बोधित पत्र दिनांक 26.07.2008 जिसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि *"केन्द्र सरकार की पूर्व में स्वीकृति जो कि 1996 में प्राप्त हो गयी के अनुसार 92 हैक्टेयर वन भूमि को फोर लेनिंग एवं इस राष्ट्रीय राजमार्ग को मजबूत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित कार्य इसका अभिन्न अंग प्रतित होता है। फिर नये प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है, यह स्पष्ट नही है। अतः यदि आवश्यक हो तो सम्पूर्ण विवरण के साथ औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रेषित करें अन्यथा समक्ष स्तर पर अनुमति प्रसारित कराने की व्यवस्था करावें"*।

xviii) उपवन संरक्षक अलवर का मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक एवं सुरक्षा राजस्थान जयपुर को सम्बोधित पत्रांक 10203 दिनांक 12.09.2008 जिसके द्वारा स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर में शामिल है। टोल प्लाजा के निर्माण में अस्थाई बूथ बनाये जावेगें जिसमें 240 वर्गमीटर भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा जिसके लिए स्वीकृति लिया जाना उचित होगा।

xix) नोडल ऑफिसर का राज्य सरकार को अग्रेसित पत्रांक 10420 दिनांक 16.10.2008 जिसके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर में शामिल है। टोल प्लाजा के निर्माण में अस्थाई बूथ बनाये जावेगें जिसमें 240 वर्गमीटर भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा जिसके लिए स्वीकृति लिया जाना वांछनीय है।

xx) राज्य सरकार द्वारा मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रिय) भारत सरकार को सम्बोधित पत्र दिनांक 18.06.2009 जिसके द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव अग्रेसित किया गया। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि *"प्रस्तावित 2.852 हैक्टेयर वन भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर वन भूमि में सम्मिलित है तथा पूर्व में प्रत्यावर्तित वन भूमि के अतिरिक्त ओर कोई अन्य वन भूमि टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित नही है। नये टोल प्लाजा के निर्माण में संलग्न नक्शे के अनुरूप अस्थाई कलेक्शन बूथ बनाये जायेगे जिसमें पूर्व से प्रत्यावर्तित 240 वर्गमीटर अर्थात 0.024 हैक्टेयर वन भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा।"*

9. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव प्रेषित करते समय पत्र दिनांक 18.06.2009 में तो उल्लेख कर दिया गया कि प्रस्तावित 2.852 हैक्टेयर भूमि पूर्व में स्वीकृत 92 हैक्टेयर का भाग है, मात्र 240 वर्गमीटर वन भूमि उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता है तथा उपरोक्तानुसार ही सिफारिश की गयी किन्तु पत्र के संलग्न मूल प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नही किया गया । प्रस्ताव 2.852 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन का संलग्न कर भेज दिया गया। संभवतया पूरे विरोधाभास का यही मुख्य कारण रहा।

10. भारत सरकार द्वारा प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 18.06.2009 में अंकित सिफारिश पर गौर नही किया गया तथा पत्र क्रमांक 677 दिनांक 08.09.2009 द्वारा 2.852 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृति ने 240 वर्गमीटर भूमि उपयोग परिवर्तन का कोई संदर्भ नही लिया गया।

11. उपरोक्त सैद्धांतिक स्वीकृति नोडल अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 6166 दिनांक 01.10.2009 द्वारा परियोजना निदेशक भाराराप्रा कोटपूतली को पालना हेतु अंग्रेसित किया गया।

12. इस दौरान मई 2009 में परियोजना निदेशक भाराराप्रा कोटपूतली का कार्यालय समाप्त हो गया जिससे नोडल अधिकारी का उक्त पत्र प्राप्त नही हो सका तथा उस पर कोई कार्यवाही भी नही की जा सकी।

13. भारत सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 8बी/राज/06/13/2009/एफसी/253 दिनांक 18.06. 2015 द्वारा पूर्व पत्रांक 677 दिनांक 08.09.2009 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया। जिससे नोडल अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 4369 दिनांक 15.07.2015 द्वारा भाराराप्रा को अग्रेसित कर दिया।

14. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1706 दिनांक 23.05. 2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को निरस्त किया जा चुका है अतः भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 21.05.2018 के अनुसार फ्रेस प्रपोजल प्रेषित करें।

15. भाराराप्रा पकाई जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 281 दिनांक 29.04.2019 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर को सम्बोधित पत्र में पुनः स्पष्ट किया गया था कि भारत सरकार जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 08.09.2009, राज्य सरकार के पत्र दिनांक 18.06.2009 के क्रम में जारी की गयी है, जिसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट किया गया था कि प्रस्तावित 2.852 हैक्टेयर भूमि पूर्व में स्वीकृत 92 हैक्टेयर भूमि में सम्मिलित है एवं उक्त भूमि में से मात्र 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग

परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इसी पत्र में भाराराप्रा द्वारा अनुरोध किया गया था कि शुल्क संग्रहण केन्द्र भी मार्ग निर्माण का ही भाग होता है, जैसा कि भारत सरकार के राजपत्र में भी उल्लेखित है। भाराराप्रा द्वारा शुल्क संग्रहण (भारत सरकार राजस्व) का कार्य वर्ष 2007 से किया जा रहा था वह यह मार्ग किया जा रहा था कि शुल्क संग्रहण का कार्य मार्ग निर्माण का भाग है। भाराराप्रा के किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझ कर किसी भी नियम का उल्लंघन करने का उद्धेश्य नही रहा है।

16. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र दिनांक 23.05.2019 की पालना में भाराराप्रा द्वारा पूर्व में दिनांक 27.06.2007 को प्रेषित प्रस्ताव को ही पुनः पत्र क्रमांक 669 दिनांक 06.06.2019 के द्वारा प्रेषित कर दिया। जिसका प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/41266/2019 है।

17. उक्त प्रस्ताव के पार्ट–II में उपवन संरक्षक अलवर द्वारा अंकित किया गया है कि 2.852 हैक्टेयर वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघन वर्ष 2009 में किया गया है, जिसके लिए परियोजना निदेशक जिम्मेदार है।

18. उपवन संरक्षक अलवर के पत्र क्रमांक 5653 दिनांक 11.08.2021 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि

    1 There is violation in the proposal so what action was taken against the concerned officers.

    2 Calculation of penal NPV has to be taken.

    3 Ca scheme / estimate should be given site specific

19. उपवन संरक्षक अलवर के उक्त पत्र दिनांक 11.08.2021 के प्रत्युत्तर में परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय के पूर्व पत्र दिनांक 29.04.2019 द्वारा इस बाबत् वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

20. उपवन संरक्षक अलवर पुनः पत्र क्रमांक 1915 दिनांक 01.04.2022 द्वारा दोषी अधिकारी का नाम एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा गया, जिसकी प्रत्युत्तर में परियोजना निदेशक भाराराप्रा ने अपने पत्र क्रमांक 581 दिनांक 03.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि "परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार उक्त कार्य वर्ष 2009 में पूर्ण किया गया था तथा उक्त समयावधि में पकाई जयपुर परियोजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता थे।

21. उपवन संरक्षक अलवर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3738 दिनांक 29.11.2023 द्वारा श्री हरिश चन्द्रा, परियोजना निदेशक, पकाई जयपुर को धारा 3ए एवं 3बी का नोटिस दिया गया। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना निदेशक, पकाई जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि *"प्रस्तावित 2.852 हैक्टेयर भूमि भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.06.1996 को प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर भूमि का भाग है। वन विभाग के मूल्यांकन का केवल मात्र 240 वर्गमीटर का भूमि के उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होगी। आपको अवगत कराना है कि शुल्क संग्रहण केन्द्र का निर्माण मार्ग निर्माण का भाग होता है। जैसा कि भारत सरकार के असाधारण अंक में भी उल्लेखित है। भाराराप्रा द्वारा शुल्क संग्रहण का कार्य वर्ष 2007 से किया जा रहा है वह यह मानकर किया जा रहा था कि ताकि शुल्क संग्रहण का कार्य भी मार्ग निर्माण का भाग है। भाराराप्रा के किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझ कर किसी भी नियम का उल्लंघन करने का उद्धेश्य नही रहा।"*

22. उपवन संरक्षक अलवर द्वारा पुनः पत्र क्रमांक 4107 दिनांक 31.01.2024 द्वारा उल्लेख किया गया है कि दिनांक 30.12.2008 को प्रेषित प्रस्ताव के एनेक्सर–3 के अनुसार प्रस्तावित भूमि प्रत्यावर्तन

प्रस्ताव में सम्मिलित नही थी। उल्लेखनीय है कि उपवन संरक्षक द्वारा भाराराप्रा के पत्र दिनांक 14.12.2023 में उल्लेखित तथ्यों पर कोई गौर नही कर नजरअंदाज कर दिया गया।

23. उपवन संरक्षक अलवर द्वारा पुनः पत्र क्रमांक 5233 दिनांक 13.04.2024 द्वारा निम्न उल्लंघनकर्ता माने जाकर उनका नाम, पता एवं मोबाईल पूछे गये है :–

    1. जनवरी 2006 से जुलाई 2015 तक शाहजहांपुर टोल प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे परियोजना निदेशक।

    2. जनवरी 2006 से जुलाई 2015 तक शाहजहापुर टोल प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे परियोजना प्रबन्धक।

    3. 2.852 हैक्टेयर वन भूमि पर शाहजहापुर टोल प्लाजा बनाने वाली निर्माणकर्ता एजेन्सी।

24. उपवन संरक्षक अलवर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट–II में उल्लंघन हेतु तत्कालीन परियोजना निदेशक को जिम्मेदार मानते हुए उनका नाम पूछा गया था जबकि अब पत्र दिनांक 13.04.2024 द्वारा जनवरी 2006 से जुलाई 2015 तक पदस्थापित रहे परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्धक एवं निर्माणकर्ता एजेन्सी के नाम पूछे जा रहे है, जिसका कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

25. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि टोल प्लाजा वास्तव में 240 वर्गमीटर क्षेत्र में ही बनाया गया है, जो मार्ग निर्माण का ही भाग होने से भाराराप्रा किसी प्रकार के किसी नियम एवं कानून का उल्लंघन नही किया गया है।

26. प्रस्ताव में उल्लेखित 2.852 हैक्टेयर भूमि जो कि 24 मीटर (18.63+5.37) चौडाई एवं लगभग 1190 मीटर लम्बाई नक्शे में अंकित है, का वास्तव में टोल प्लाजा निर्माण से कोई सम्बन्ध नही है। उक्त 2.852 हैक्टेयर क्षेत्र पूर्व में स्वीकृत 92 हैक्टेयर क्षेत्र में सम्मिलित है। अतः इस क्षेत्र की पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नही है।

27. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2009 को उक्त प्रकरण भारत सरकार को भेजते समय पत्र में तो 2.852 हैक्टेयर पूर्व में स्वीकृत 92 हैक्टेयर क्षेत्र में सम्मिलित होने तथा मात्र 240 वर्गमीटर का भू–उपयोग परिवर्तन की सिफारिश की गयी किन्तु संलग्न प्रस्ताव में 2.852 हैक्टेयर क्षेत्र ही अंकित रह गया, जिसकी वजह से उपरोक्त विरोधाभास उत्पन्न हो गया।

28. भाराराप्रा के मतानुसार टोल प्लाजा स्थापित कर शुल्क संग्रहण करना मार्ग निर्माण का ही भाग है। अतः इसके लिए पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नही है।

आपसे अनुरोध है कि पूरे प्रकरण एवं पूर्व के पत्राचार पर अवलोकन फरमावें। प्रकरण में स्वीकृत भूमि पर टोल प्लाजा स्थापित कर शुल्क संग्रहण करने की गतिविधि को वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नही मानने की कार्यवाही करें तथा उक्त प्रकरण संख्या 41266/2019 को प्रत्याहृत (Withdraw) करने की अनुमति प्रदान करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ
2. उपवन संरक्षक, अलवर को उनके पत्रांक 5233 दिनांक 13.04.2024 के क्रम में।

7/7

NO.8-103/95-FC

Telegram : PARYAVARAN,
NEW DELHI
दूरभाष :
Telephone: 4360704
टेलेक्स (द्विभाषीय) :
Telex: (bi-lingual) : W-66185 DOE IN
FAX : 4360678

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
पर्यावरण भवन सी. जी. ओ. काम्पलेक्स
PARYAVARAN BHAVAN, C.G.O. COMPLEX
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

Dated the 20th June, 1996

To

The Secretary
Forest Department
Government of Rajasthan
Jaipur.

Subject: Diversion of 92 ha. of forest land for four lanning of National Highway No.8. from KM 107/180 to 162/500 (A.D.B. III). inJaipur/Alwar district of Rajasthan.

Sir,

I am directed to refer to your letter No.P.1(31)Forest/5 dated 20.9.95 and 12.6.96 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the aforesaid act.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendation of the above mentioned Advisory Committee, the Central Government hereby conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 92 ha. of forest land for 4 lanning and strengthening of National Highway No.8 from Km 107/180 to 162/500 (ADB-III) in Jaipur/Alwar district subject to the following conditions:-

i) Legal status of the forest land will remain unchanged.

ii) Compensatory afforestation to be raised over double the degraded forest land at the cost of user agency.

iii) The forest land should not be used for any purpose other than specified in the proposal.

iv) Value of the trees shall be paid to the State Government by the user agency.

Yours faithfully,

(INDER DHAMIJA)
Sr. Asstt. Inspector General of Forests

||कार्यालय उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर||

F()FCA/उवसं/07/ 4757 दि० 21-5-07

निमित्त:- प्रोजेक्ट डायरेक्टर
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण, बीलासपुर
(जि० गुड़गावा) हरियाणा

विषय:- नया टोल प्लाजा बनाने के क्रम में
KM 115 से 116 N.H. 8.

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1523 दि० 13.3.07

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के साथ नया टोल प्लाजा N.H.8 पर बनाने के लिये स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये है प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण करने पर निम्न कमियाँ पायी गयी:-

1. टोल प्लाजा के निर्माण के लिये प्रस्तावित 2.852 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु नेट प्रजेन्ट वेल्यू (N.P.V.) की राशि 26.24 लाख के सम्बन्ध में सहमति प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जावे
2. आप द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि व अन्य भूमि को इन्डेक्स में अंकित करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में काटे जाने वाले पेड़ो की संख्या 40 अंकित है जबकि वन प्रसार अधिकारी, बहरोड द्वारा काटे जाने वाले पेड़ो की संख्या 75 बतायी गयी है
4. टोल निर्माण हेतु आप द्वारा वृक्ष काटे जाने की स्वीकृति चाही है जिसके लिये अरावली अधिसूचना दिनांक 7.5.92 के तहत पर्यावरण विभाग से सक्षम स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है

अतः प्रस्ताव मूल ही आक्षेप शर्ति हेतु संलग्न किये जा रहे है इस क्रम में आप अति० प्रधान मुख्य

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Shipping, Road Transport & Highways)
Corridor Management Unit - Kotputli, Toll Plaza at Km - 61.00, NH-8 (Delhi-Jaipur Road), Bilaspur, Distt. Gurgaon (Haryana)
Phone : 0124-2279050
Tele Fax - 0124-2279092

भाराराप्रा/कोट/11013/10/07-08/449 दिनांक 27.6.2007

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण अधिनियम,
वन भवन, जयपुर।

विषय : नया टोल प्लाजा बनाने के कम में- कि. मी. 115 से 116 के मध्य दिल्ली-जयपुर रोड़ एन.एच 8.
संदर्भ : उप वन संरक्षक अलवर का पत्रांक F( ) FCA उ व स/07/4757 दिनांक 21.5.07

महोदय,

उपरोक्त विषय में टोल प्लाजा बनाने के प्रस्ताव संलग्न मूल 5 प्रतियों में निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. नेट प्रजेन्ट वैल्यू (N.P.V) की राशि 26.24 लाख का सहमति पत्र संलग्न है, इस शर्त के अधीन कि इसके उपरान्त माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, वह दोनों विभागों (भा.रा.रा.प्रा. तथा वन विभाग) को मान्य होगा।
2. इन्डेक्स में प्रस्तावित वन भूमि व अन्य भूमि को इन्डैक्स में अंकित कर दिया गया है।
3. पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव में 40 वृक्ष जिनकी परिधी 30 से.मी. या अधिक थी उन्ही को शामिल किया गया था। अब जिन वृक्षों की परिधी 30 से.मी. से कम है उन्हे शामिल कर मानचित्र में दर्शा दी गयी है। वृक्षों की कुल संख्या 75 है।
4. प्रस्तावित नया टोल प्लाजा एक किलोमीटर लम्बाई में बनाया जाना है जिसकी निर्माण लागत अनुमानतः 15 करोड़ के करीब होगी। एक कि.मी. निमार्ण में काटे जाने वाले पेड़ो की संख्या भी कम है, संभवतः ऐसे लघु निर्माण के लिए पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(9) 9

अतः अनुरोध है कि अविलम्ब प्रस्ताव स्वीकृत कराने का श्रम करें जिससे निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

धन्यवाद।

भवदीय,

S.Agrawal

(सतीशचन्द अग्रवाल)
परियोजना निदेशक

संलग्न/मूल प्रस्ताव 5 प्रतियों में।

प्रतिलिपिः उप वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर को सूचनार्थ प्रेषित है।

Deputy Conservator of Forests Social Forestry , Alwar

(49) 48

PART-II

(To Be Filled by the Concerned Deputy Conservator of Forest State Serial No. of Proposal-------------

7. Location of the project/ Scheme.	
(i) State/ Union Territory	Rajasthan
(ii) District	Alwar
(iii) Forest Division	DCF Social Forestry, Alwar
(iv) Area of Forest land Proposed for diversion (in ha.)	2.852 Ha along NH-8
(v) Legal Status of forest	Protected Forest
(vi) Density of Vegetation	0.05
(vii) Species- wise (scientific names) and diameter Class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In Case of irrigation/ hydel projects enumeration at FRI, FRI- 2 meter & FRI-4 meter also to be enclosed)	Enclosed as Annex-I
(viii) Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.	Not vulnerable
(ix) Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.	Part of Forest Area
(x) Whether form Part of national park wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve elephant corridor etc. (If so the details of the area and comments of the chief wildlife warden to be annexed)	No.
(xi) Whether any rate/ endangered / unique Species of flora and found in the area if so details thereof.	No.
(xii) Whether any protected archaeological/ heritage site / defense establishment of any other important movement is located in the area If so the details thereof woth NOC from Competent authority if required.	No.
8. Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 of part-1 is unavoidable and ba...st minimum for the project If no, recommended area item -wise with details of alternatives examined .	Yes, It is unavoidable and barest minimum required
9. Whether any work in violation of the Act. Has been carried out (yes/no) If yes details of the same includin period of work done action taken on details of alternatives examined.	Work was started by clearing few munj grass in 20-25 mtr. patch The work was stopped by RFO and a FIR was loged on 21-7-07 , 3738/1 The Contractors did not carry out any work after that and agreed that they were ignorant of the land status. The case was compounded for Rs. 5100/- later on. No work was carried out after that.
10. Details of compensatory afforstation Scheme : i) Details of non forest area/ degraded forest area dentified for compensatory afforstation , its distance rom adjoining forest, number of patches size of each patch.	This area on NH 8 has been already diverted vide letter no. 8-103/95/FC dated 20-21-6-1996 hence there is no need to take compensiatory area for this project.

(48)

47-

(ii) Map Showing non-forest degraded forest degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries	NA
(iii) Details Compensastory afforestation scheme including species to be planted implementing agency, time schedule, cost structure etc.	Shall be done as per department norms.
(iv) Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view (To be singed by the concerned deputy conservator of forest.)	NA
11. Site inspenction report of the DCF (To be enclosed) especially highlighting facts asked in col. (xi, xii) 8 & 9 ablve.	Inspected the site on 17-8-07 the area is under road side plantation. Species includes Shisam, Ardu, Neem, Babool, etc, Detail is given in Annexure-1.
12. Divisional / District Profiles :-	
(I) Geographical area of the District	8380 Sq.K.m.
(ii) Forest area of the District	1769.15 Sq.K.m.
(iii) Total forest area diverted since- 1980 with number of cases	No. of Cases 14, Area.: 277.7903 Hect.
(iv) Total Compensatory afforstation Stipulated in the district/ division since 1980 on :-	
(a) Forest land including penal compensatory afforstation	45.6658 Hect.
(b) Non-forest land.	55.0458 Hect.
(v) Progress of compensatory afforesttation as on (dated)- ---------------on (a) Forest land (b) Non-forest land.	Planting in 110 hect. Forest land done in 2002 03. Planting in 110.00 Hect. Non forest land in 54.42 Hect. 1995-96 and 2001-2002
13. Specific recommendations of the DCF for acceptance of otherwise of the proposal with reasons.	Since this is an important Infrastructure development project. The project may be given priority & accepted.

Date : 03/09/07
Place : Alwar

Dy. Conservator of Forests
Social Forestry ,Alwar

//कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर//

58

59

क्रमांक :- एफ 14 एनएच 107/वसु/प्रमुवसं/ 8724 दि. 23.10.07

निमित्त :-

उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी
अलवर ।

विषय :- नया टोल प्लाजा बनाने के क्रम में किमी 115 से 116 के मध्य दिल्ली जयपुर रोड़ एनएच 8

सन्दर्भ :- दि. 9-10-07 को हुई दूरभाष वार्ता के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एनएच 8 के किमी 115 से 116 के मध्य निर्माण किये जाने वाले नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित 2.852 है0 वनभूमि एनएच 8 पर पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 है0 वनभूमि (किमी 107/180 से 162/500) में सम्मिलित है अथवा उक्त भूमि के अलावा और अतिरिक्त वनभूमि चाही जारही है । यदि पूर्व में प्रत्यावर्तित वनभूमि के उपयोग मात्र में ही कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो इसके लिए वनभूमि प्रत्यावर्तन के नये प्रस्ताव भिजवाया जाना आवश्यक नहीं है, परन्तु उपयोग परिवर्तन की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी । यदि पूर्व प्रस्तावित भूमि उपयोग भी यथावत रहता है तो स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी । यदि पूर्व में प्रत्यावर्तित वनभूमि के बाहर गैर वनभूमि पर नये भवन निर्माण संबंधी गतिविधियाँ यूजर एजेंसी द्वारा कराई जा रही है तो इस संबंध में वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । अतः यह सुनिश्चित कर स्पष्ट करें, कि उक्त प्रस्ताव में अपेक्षित भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित वनभूमि में सम्मिलित है अथवा इसके अतिरिक्त वनभूमि है ।

भवदीय

23.10.07

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, जयपुर

क्रमांक :- एफ सम/- 8725-27 दि. 23/10/07

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, वन-विभाग, राज0, जयपुर को उनके पत्रांक प. 1 (22) वन/07 दि. 9-10-07 के क्रम में ।
2. वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर ।
3. परियोजना निदेशक, नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इण्डिया, कोरिडोर मैनेजमेंट यूनिट- कोटपूतली टोलप्लाजा बिलासपुर (किमी 61, एनएच 8) जिला गुड़गांव, हरियाणा ।

23.10.07

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, जयपुर

60

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Shipping, Road Transport & Highways)
Corridor Management Unit - Kotputli, Toll Plaza at Km - 61.00,
NH-8 (Delhi-Jaipur Road), Bilaspur, Distt. Gurgaon (Haryana)

Phone : 0124-2279050
Tele Fax - 0124-2279092

64

उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी
अलवर

विषयः - निर्माण कार्य टोल प्लाजा किमी. 115-116 दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राज मार्ग एन. एच: 8

महोदयः -

NH-8 पर कि.मी. 115 से 116 कि.मी. के मध्य टोल प्लाजा निर्माण हेतु पूर्व में प्रत्यावर्तित भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। मौजूदा रोड़ के साथ प्रत्यावर्तित भूमि में रोड़ के एक तरफ 18.630 मी. तथा दूसरी तरफ 5.370 मी. चौड़ाई कुल 24 मी. चौड़ाई तथा 10 मी. लम्बाई में संलग्न मानचित्र अनुसार अस्थाई कलैक्शन बूथ बनाया जावेगा। उक्तानुसार मात्र 240 वर्गमीटर प्रत्यावर्तित वन भूमि के उपयोग में स्पेस फेम द्वारा जी. आई सीट की छत का निर्माण होगा।

भवदीय,
UKJain 27.10.07
प्रबन्धक (तकनिकी)
सी. एम. यू. कोटपुतली
बिलासपुर जिला गुड़गॉव

प्रतिलिपी - परियोजना निदेशक बिलासपुर को सूचनार्थ

प्रबंधक (तकनिकी)

5619
29-10-07

कार्यालय उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर

63

क्रमांक :– एफ ( ) एफ सी ए/उवसं/ 10637 दिनांक 29.10.07

(64)

निमित :-

DCF(CD) pl. put up on file 30.10.07

अति0प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी
राजस्थान,जयपुर ।

A
2026
31.10.07

विषय :– नया टोल प्लाजा बनाने के कम में किमी0 115 से 116 के मध्य दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0 8

संदर्भ :– आपका पत्रांक एफ (4)एनएच/07/वसु/प्रमुवस/8724 दिनांक 23.10.07

F/A

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन निम्न प्रकार है :–

(1) एनएच 8 के किमी0 115 से 116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित 2.852 है0 वन भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 है0 भूमि में शामिल है (प्रति संलग्न है) ।

(2) पूर्व में प्रत्यावर्तित वन भूमि के अतिरिक्त ओर कोई अन्य वन भूमि नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं है ।

(3) नये टोल प्लाजा के निर्माण में मौजूदा रोड के एक तरफ 18.630 मीटर तथा रोड के दूसरी तरफ 5.370 मीटर चौडाई कुल 24 मीटर चौडाई तथा 10 मीटर लम्बाई में संलग्न नक्शे अनुरुप अस्थाई कलेक्शन बूथ बनाये जायेगे जिसमें पूर्व से प्रत्यावर्तित 24X10=240 वर्ग मीटर अर्थात 0.024 है0 वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन होगा जिसकी सक्षम स्वीकृति लिया जाना उचित होगा । (प्रति संलग्न है) ।

(4) नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित विभिन्न प्रजातियों के 75 पेड काटे जाने है जिनकी अरावली अधिसूचना दिनांक 7.5.92 के तहत सरकार से सक्षम स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है ।

अतः संदर्भित पत्र के कम में वस्तुस्थिति की सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी
अलवर ।

क्रमांक / सम /   दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) वन संरक्षक,अरावली वृक्षारोपण परियोजना,जयपुर ।

(2) परियोजना निदेशक,नेशनल हाइवे आथारेटी आफ इण्डिया कोरीडोर मेनेजमेंट यूनिट कोटपूतली,टॉल प्लाजा किमी0 61 एनएच 8 देहली जयपुर रोड विलासपुर जिला गुडगांवा (हरियाणा) ।

उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी
अलवर ।

66

67

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प14(NH)2007/वसु/प्रमुवसं/ 9165 दिनांक : 3.11.07

शासन सचिव,
वन विभाग राजस्थान,
जयपुर।

विषयः दिल्ली जयपुर रोड एन एच 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने के संबंध में।

सन्दर्भः उप शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प1(22)वन/2007 दिनांक 9.10.07. p.57/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में मुख्य वन संरक्षक, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर निवेदन है कि दिल्ली–जयपुर रोड एन.एच. 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन तथा प्रस्तावित क्षेत्र में विद्यमान 75 पेडों के पातन की स्वीकृति चाही गई है।

उल्लेखनीय है कि एन.एच 8 के किमी 107/180 से 162/500 को दो लेन से चार लेन में परिवर्तन हेतु 92 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8–103/95 एफसी दिनांक 20/21.6.96 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रदान की गई थी। उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर ने उनके पत्रांक 10637 दिनांक 29.10.07 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि एन.एच 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित 2.852 हैक्टर वन भूमि उक्त पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टर वन भूमि में सम्मिलित है तथा पूर्व में प्रत्यावर्तित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई अन्य वन भूमि नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं है। नये टोल प्लाजा के निर्माण में संलग्न नक्शे के अनुरूप अस्थाई क्लेक्शन बूथ बनाये जायेंगे जिसमें पूर्व से प्रत्यावर्तित 24X10= 240 वर्ग मीटर अर्थात 0.024 हैक्टर वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन होगा। साथ ही प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित विभिन्न प्रजातियों के 75 पेड काट जायेंगे जिनकी अरावली अधिसूचना दिनांक 7.5.92 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। p.61/c

अतः कृपया अनुमोदन उपरांत उक्त प्रस्तावानुसार नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग के परिवर्तन तथा 75 पेडों को काटने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

2.11.07

संलग्नः उपरोक्तानुसार
(मूल प्रस्ताव – 3 प्रतियों में)

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प14(NH)2007/वसु/प्रमुवसं/ 9166–69 दिनांक : 3.11.07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इण्डिया, कोरिडोर मैनेजमेंट यूनिट, कोटपूतली टोल प्लाजा, बिलासपुर (किमी 61 एन एच 8) जिला गुडगांव, हरियाणा।
3. वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर को उनके उक्त संदर्भित पत्र के कम में।

2.11.07

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

pccf

(68)

दो यादव

67

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कमाकः प0 1(139)वन/2007 जयपुर,दिनांकः 3/12/2007

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः—दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0—8, 115—116 के मध्य नया टोल प्लाजा शाहजहापुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं 75 पेड काटने की स्वीकृति बाबत ।

संदर्भः— आपका पत्र सं. 9165 दिनांक 3.11.07 F/R

महोदय,

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के कम में प्रस्ताव मूल ही लौटाकर लेख है कि दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0—8, 115—116 के मध्य नया टोल प्लाजा शाहजहापुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं 75 पेड काटने की स्वीकृति के संबंध में निम्न सूचना तत्काल प्राथमिकता के आधार पर भिजवाने का श्रम करावें :—

1. एन0एच0 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित 2.852 हैक्टर वन भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टर वन भूमि में सम्मिलित है तथा अन्य वन भूमि नये टोल पलाजा के निर्माण में अस्थाई कलेक्शन बूथ बनाने हेतु 0.024 है0(24X10=240 वर्गमीटर) के वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन का स्पष्ट नहीं हो रहा हैं ।

2. दो लेन से चार लेन के परिवर्तन हेतु 92 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति में बिन्दू संख्या I शर्त के अधीन स्वीकृति दी गई है कि पेड काटने पर उसकी कीमत जमा कराई जावे । इस प्रकार पेड काटने की स्वीकृति है, तो पुनः 75 पेड काटने की स्वीकृति क्यों चाही जा रही है ? स्पष्ट नहीं होता हैं ।

3. पूर्व स्वीकृति के आधार पर यूजर ऐजेन्सी ने पेडों की कीमत बिन्दू संख्या IV अनुसार जमा कराई या नहीं ? अगर जमा कराई तो कितनी राशी जमा कराई हैं ?

A

4649
7/12/07

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव

Ad. PCCF(FC)
4/12

(हस्ताक्षर)
4/12

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर (79) 76

क्रमांक :एफ 14(एनएच)2007/वसु/प्रमुवसं/ 2050 दिनांक : 14.2.08

शासन सचिव,
वन विभाग राजस्थान,
जयपुर।

विषयः— दिल्ली—जयपुर रोड एनएच 8, 115—116 के मध्य नया टोल प्लाजा शाहजहापुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एंव 75 पेड काटने की स्वीकृति बाबत ।

संदर्भः— आपका पत्रांक प. 1(139)वन/2007 दि. 3.12.07

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में दिल्ली—जयपुर रोड एनएच 8, 115—116 के मध्य नया टोल प्लाजा शाहजहापुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एंव 75 पेड काटने की स्वीकृति के संबंध में तीन बिन्दुओं पर चाही गई सूचना वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर से उनके पत्रांक एफ 5(143)खनन/वसं/अवृप/ 509 दि. 6.2.08 के साथ उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर एंव उप वन संरक्षक, जयपुर(उत्तर) के पत्रांक कमशः 448 दि. 20.1.08 एंव 419 दि. 2.2.08 से प्राप्त हुई है (छायाप्रति संलग्न) वांछित बिन्दुवार प्राप्त सूचना (मय प्रस्ताव की प्रतियों सहित) निम्न प्रकार है :—

1. इस बिन्दु में उल्लेखित तथ्य के कम में निवेदन है कि एनएच 8 के किमी. 115 से 116 के मध्य नये टोल प्लाजा निर्माण हेतु प्रस्तावित 2.852 है0 भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 है0 वनभूमि में सम्मिलित है । किमी. 115 से 116 के मध्य टोल प्लाजा के निर्माण में अस्थाई कलैक्शन बूथ बनाये जावेंगे जिनमें 24 10 240 वर्गमीटर अर्थात 0.024 है0 क्षैत्र उपयोग किया जायेगा । कलैक्शन बूथ हेतु प्रभावित 0.024 है0 क्षैत्र भी पूर्व में प्रत्यावर्तित वनक्षैत्र में ही सम्मिलित है लेकिन इस क्षैत्र (0.024 है0) के भूमि उपयोग में बदलाव होगा, जिसके लिए स्वीकृति लिया जाना उचित होगा ।
2. नया टोल प्लाजा किमी 115 से 116 के मध्य बनाये जाने में रोड को चौडा किया जावेगा, जिसमें 75 पेड प्रभावित होंगे । यह पेड पूर्व में काटे गये पेडों के अतिरिक्त है, इसलिए इनको काटने की विधिवत स्वीकृति लिया जाना उचित होगा ।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) के अनुसार उनके कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना निदेशक एंव अधीक्षण अभियंता, ए.डी.बी. वृत, सा.नि.वि. शाहपुरा द्वारा उप वन संरक्षक, जयपुर(पश्चिम) को 51.05 लाख रूपये की राशि जमा करायी थी, जिसमें बडी ऊपज की कीमज के एवज में 38.59 लाख रूपये जमा कराये थे ।

संलग्नः— उक्तानुसार एंव मूल प्रस्ताव 2 प्रति

भवदीय

14.2.08
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :एफ 14(एनएच)2007/वसु/प्रमुवसं/ 2050-A दिनांक : 14-2-08

प्रतिलिपीः— वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर को उनके पत्रांक 509 दि.6.2.08 के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

14.2.08
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

pccf

(80)

77

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः– प0 1 (139)वन/07 जयपुर,दिनांकः– 12 MAR 2008

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान जयपुर

694
17.3.08

विषयः–दिल्ली जयपुर रोड एन एच–8 के किमी. 115–116 के मध्य टोल प्लाजा शाहजहापुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं 75 पेड काटने की स्वीकृति बावत्।

संदर्भः– आपका पत्रांक 2050 दिनांक 14.2.08

महोदय,

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के कम में निदेशानुसार लेख है कि दिल्ली जयपुर रोड एन एच–8 के किमी. 115–116 के मध्य टोल प्लाजा शाहजहापुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं 75 पेड काटने की स्वीकृति के संबंध में कृपया निम्नलिखित सूचना शीघ्र भिजवाने का श्रम करावें:–

1. क्या पेडों को काटने की स्वीकृति भी भारत सरकार से लेनी होगी ?
2. क्या उपरोक्त कार्य अभी होना है या मौके पर हो चुका है ?
3. एक बार डायवर्जन की स्वीकृति दी हुई है तो फिर स्वीकृति क्यों मांगी जा रही है ?
4. टोल प्लाजा का लोकेशन कहां होगा ?

~~संलग्नः– उपरोक्तानुसार~~ ।

भवदीय,

विशेषाधिकारी

APCCF(FC)
13/3

Put up on file
15.3.08

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Shipping, Road Transport & Highways)
Corridor Management Unit - Kotputli, Toll Plaza at Km - 61.00,
NH-8 (Delhi-Jaipur Road), Bilaspur, Distt. Gurgaon (Haryana)

Phone : 0124-2279050
Tele Fax : 0124-2279092

82 79

NHAI/KTP/11013/08-09/141

Dated: 21.04.2008

Deputy Conservative of Forest
Social Forest
Alwar

Sub: **Construction of Toll lane & Plazain Km.115-116 of NH-8 of Gurgaon Amer Section in Village Shahjanpur.**

Sir,

Please refer the above letter under reference the point wise reply of required point 2.4 is as under:-

1. The above work is in progress.
2. The toll Plaza location shall be at chainage 115.500

It is again submitted that the permission of cutting of trees was accorded during the diversion of land required at the time of four lanning. The due charges for cutting of trees was already deposited. There fore revised permission of land diversion is not required as Land use is also not being changed.

Thanking you,

Yours faithfully

(R.K.Garg)
Project Director

Copy:- submitted/ forwarded for information:-

1. The GM(CM) Dwarka New Delhi.
2. The Additional PCCF Van Bhavan jaipur
3. Manager (Tech-I) for needful action

put up on file

84

81

।। कार्यालय उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी ,अलवर।।

क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवस/ 6510 दिनांक 30-5-08

मिमित,

मुख्य वन संरक्षक
वन संरक्षण एवं सुरक्षा जयपुर

विषय : दिल्ली–जयपुर रोड एन एच 8 किली.115–116 के मध्य टोलप्लाजा शाहजहापुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं 75 पेड काटने की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ : आपका पत्रांक एफ 14 (एन एच)/07/ प्रमुवस/वसु/4391 दिनांक 10.4.08

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 2 व 4 की सूचना प्रोजक्ट डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अपने पत्रांक 141 दि0 21.4.08 से निम्न प्रकार सूचना भिजवाई है।

1. The above work is in progresss.
2. The toll Plaza location shall be at chainage 115.500

अतः प्राधिकरण के पत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्न :– 1.

भवदीय

उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी
अलवर

क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवस/ दिनांक

प्रतिलिपी उक्त सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

(1) वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना जयपुर,

उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी
अलवर

(86)   83/

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी अलवर।।

क्रमांक एफ ( ) एफ.सी.ए/उवस   7424   दिनांक 19-6-08

निमित,

मुख्य वन संरक्षक,

वन संरक्षण एवं सुरक्षा,

वन भवन जयपुर

विषय :– दिल्ली जयपुर रोड एन.एच 8 के कि.मी. 115–116 के मध्य टोल प्लाजा शाहजहांपुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं 75 पेड काटने की स्वीकृति बाबत।

1831
20.6.08

संदर्भ :– आपका पत्रांक एफ 14 (एन.एच) 07/वसु/प्रमुवस/4391 दिनांक 10.4.08

P.78/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न विशेषाधिकारी वन भवन, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 12.3.08 में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में निवेदन निम्न प्रकार है। P.77/c

1. दिल्ली जयपुर रोड एन एच 8 के कि.मी. 115–116 के मध्य टोल प्लाजा शाहजहापुर के निर्माण हेतु 75 पेड काटे जाने है, जिनकी अरावली अधिसूचना दिनांक 7.5.92 के तहत स्वीकृति लिया जाना उचित होगा।
2. टोल प्लाजा का कार्य प्रगति पर है।
3. एन एच 8 के कि.मी. 115–116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित 2.852 हैक्टर भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टर वन भूमि में सम्मिलित है, लेकिन टोल प्लाजा के निर्माण के कलैक्शन बूथ बनाये जावेगे जिनमें 24X10=240 वर्ग मी0 अर्थात 0.024 हैक्टर क्षेत्र उपयोग में लिया जावेगा। कलैक्शन बूथ हेतु प्रभावित उक्त 0.024 हैक्टर क्षेत्र भी पूर्व में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में सम्मिलित है, लेकिन इस क्षेत्र (0.024 हैक्टर) के भूमि उपयोग में बदलाव होगा जिसके लिये स्वीकृति लिया उचित होगा।
4. टोल प्लाजा का लोकशन कि.मी. 115.5 पर स्थित है।

उक्त क्रम में यह निवेदन है कि बिन्दु संख्या 2 एवं 4 की सूचना पूर्व में कार्यालय पत्रांक 6510 दिनांक 30.5.08 से उक्तानुसार भिजवाई जा चुकी है। (प्रति संलग्न)

अतः सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी
अलवर

क्रमांक एफ ( ) एफ.सी.ए/उवस   दिनांक

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी
अलवर

(87)

84

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(एनएच)2007/वसु/प्रमुवसं/ 7020 दिनांक : 20.6.08

शासन सचिव
वन-विभाग,
राजस्थान , जयपुर ।

विषयः दिल्ली जयपुर रोड एंनएच-8 के किमी 115-116 के मध्य टोल प्लाजा शाहजहांपुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एंव 75 पेड काटने की स्वीकृति बाबत ।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक प. 1(139)वन/2007 दिनांक 12.3.2008 P 77/C

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर उप वन संरक्षक, सा0 वा, अलवर ने उनके पत्रांक 6510 दि. 30.5.08 (P 81/C) तथा 7424 दि. 19.6.08 (P 83/C) (प्रति संलग्न) द्वारा सूचना प्रस्तुत किया है ~~की~~ प्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय

20.6.08

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 14(एनएच)2007/वसु/प्रमुवसं/ 7021 दिनांक : 20.6.08

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, सा0 वा, अलवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

20.6.08

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

85

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प01(139)वन/2007 जयपुर, दिनांकः–

26 JUL 2008

प्रेषितः–

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान जयपुर

2139
28.7.08

विषयः– दिल्ली जयपुर रोड एनएच–8 के किमी 115–116 के मध्य टोल प्लाजा शाहजहांपुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं 75 पेड काटने की स्वीकृति बावत्

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक एफ.14(एनएच)2007/वसु/प्रमुवसं/7028 दिनांक 28.6.08

P.84/c

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकरण में भूमि उपयोग में क्या परिवर्तन किया गया है। केन्द्र सरकार की पूर्व में स्वीकृति जो कि वर्ष 1996 में प्राप्त हो की गयी के अनुसार 92 हैक्टर वन भूमि को फोर लेनिंग एवं इस राष्ट्रीय राजमार्ग को मजबूत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित कार्य इसका अभिन्न अंग प्रतीत होता है। फिर नये प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है, यह स्पष्ट नहीं है।

इसके अतिरिक्त अरावली नोटिफिकेशन केवल कुछ विशिष्ट भूमि के संबंध में जारी की गयी है तथा इसका प्रशासनिक विभाग पर्यावरण विभाग है। आपके पत्र में कहा गया है कि इस प्रकरण में अरावली अधिसूचना दिनांक 7.5.92 के तहत स्वीकृति लिया जाना उचित होगा। यह किस आधार पर उचित है स्पष्ट नहीं है।

यदि इस प्रस्ताव में केवल कुछ पेडों का पातन किया जाना है तो केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अनुसार पातन किये जाने वाले पेडों की अतिरिक्त कीमत प्राधिकरण से वसूल की जा सकती है।

अतः यदि आवश्यक हो तो सम्पूर्ण विवरण के साथ औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रेषित करें अन्यथा सक्षम स्तर पर अनुमति प्रसारित कराने की व्यवस्था करावे।

भवदीय

(वीरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त शासन सचिव

92 89

।। कार्यालय उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी ,अलवर।।

क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवस/ 10203 दिनांक 12/9/8

निमित,

मुख्य वन संरक्षक
वन संरक्षण एवं सुरक्षा
राज0 जयपुर

2738
23.9.08

विषय : दिल्ली–जयपुर रोड एन एच 8 के किमी.115–116 के मध्य टोलप्लाजा शाहजहापुर के संबंध में वन भूमि उपयोग परिवर्तन एवं 75 पेड काटने की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ : आपका पत्रांक एफ 14 (एन एच)/07/ प्रमुवस/वसु/8283 दिनांक 07.08.08 p.86/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त अति0 शासन सचिव, वन विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 26.07.08 में उल्लेखित तथ्यों के क्रम में निवेदन निम्न प्रकार है :– p.85/c

1. एन.एच.8 का 92 है0 क्षेत्र पूर्व में फोरलेन हेतु प्रत्यावर्तित हुआ था टोल प्लाजा निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 है0 वन भूमि में सम्मिलित है पूर्व में टोल प्लाजा बिलासपुर में स्थित था जिसे अभी बंद कर दिया है तथा प्रस्तावित जगह पर निर्माण किया जा रहा है। टोल प्लाजा के निर्माण में अस्थाई कलैक्शन बूथ बनाये जावेगे जिनमें 24X10=240 वर्ग मी0 अर्थात 0.024 है0 क्षेत्र उपयोग किया जावेगा। इस 0.024 है0 क्षेत्र के भूमि उपयोग में परिवर्तन होना जिसके लिए विधिवत स्वीकृति लिया जाना उचित होगा।
2. नये टोल प्लाजा के निर्माण में 75 पेड काटे जाने है चूंकि एन. एच 8 की रोड साईड अधिसूचित वन है इसलिये सलग्न अरावली अधिसूचना दिनांक 07.05.92 के अनुसार पेड काटने हेतु सक्षम स्वीकृति लिया जाना उचित होगा।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **भवदीय**

उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी,अलवर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

(33) 90

क्रमांकः एफ14(एनएच)2007 / वसु / प्रमुवसं / 10420 दिनांकः 16.10.08

अतिरिक्त शासन सचिव
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः दिल्ली जयपुर रोड एनएच 8 के किमी 115–116 के मध्य टोलप्लाजा शाहजहांपुर के संबंध में भूमि उपयोग परिवर्तन एंव 75 पेड काटने की स्वीकृति बाबत ।

संदर्भः–आपका पत्रांक प. 1 (139) वन / 2007 दि. 26.7.08

महोदय,

P. 85/c

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय द्वारा उप वन संरक्षक, सा0 वा, अलवर से उनकी टिप्पणी चाही गई थी, जिसके संबंध में उन्होंने अपने पत्रांक 10203 दि. 12.9.08 द्वारा इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की है । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एनएच 8 पर पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 है0 वनभूमि में ही टोलप्लाजा का निर्माण प्रस्तावित किया गया है । पूर्व में टोलप्लाजा बिलासपुर (हरियाणा) में स्थित था जिसे अब एनएचएआई द्वारा बंद कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर नये टोलप्लाजा शाहजहांपुर का निर्माण एन एच 8 के किमी 115–116 के मध्य कराया जा रहा है । उक्त टोलप्लाजा के निर्माण हेतु 0.024 है0 वनभूमि का उपयोग होगा । भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय के पत्रांक 8–103 / 95–एफसी दि. 21.6.1996 से जारी वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति की शर्त सं. 3 के अनुसार वनभूमि के उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जावेगा । अतः वनभूमि के उपयोग में परिवर्तन होने के कारण विधिवत स्वीकृति लिया जाना वांछनीय है ।

P. 89/c

इसके साथ ही उप वन संरक्षक, अलवर ने नये टोलप्लाजा के निर्माण हेतु काटे जाने वाले 75 पेडों के संबंध में अवगत कराया है कि एनएच 8 की रोड साईट अधिसूचित वन है, इसलिए "वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पेड काटने हेतु सक्षम स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है ।

अतः उक्त प्रकरण में राज्य स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने का कष्ट करें ।

संलग्नः– उक्तानुसार ।

भवदीय,
16.10.08
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ14(एनएच)2007 / वसु / प्रमुवसं / 10421 दिनांकः 16.10.08

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, सा0 वा0, अलवर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

16.10.08
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

95

92

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प0 1(139)वन/2007

जयपुर, दिनांकः

1561
23.6.09

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षैत्रीय कार्यालय (मध्य क्षैत्र)
केन्द्रीय भवन, पॉचवा तल सैक्टर एच
अलीगंज, लखनउ, उत्तरप्रदेश ।

विषयः– दिल्ली जयपुर रोड एन एच 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने के संबंध में ।.

महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने दिल्ली जयपुर रोड एन एच 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भूमि उपयोग में परिवर्तन तथा प्रस्तावित क्षैत्र में विद्यमान 75 पेडों के पातन की स्वीकृति के प्रस्ताव की अनुशंषा की हैं ।

आलौच्य प्रस्ताव के संबंध में उल्लेखनीय है कि एन.एच. 8 के किमी 107/180 से 162/500 को दो लेंन से चार लेन में परिवर्तन हेतु 92 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति आपके पत्रांक 8–103/95 एफसी दिनांक 20/21.6.96 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि एन.एच 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित 2.852 है0 वन भूमि उक्त पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 है0 वन भूमि में सम्मिलित है तथा पूर्व में प्रत्यावर्तित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई अन्य वन भूमि नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं हैं । नये टोल प्लाजा के निर्माण में संलग्न नक्शे के अनुरूप अस्थाई कलेक्शन बूथ बनाये जायेंगे जिसमें पूर्व से प्रत्यावर्तित 24 x 10 = 240 वर्ग मीटर अर्थात 0.024 हैक्टर वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन होगा । साथ ही प्रस्तावित क्षैत्र में स्थित विभिन्न प्रजातियों के 75 पेड काट जायेंगे जिनकी अरावली अधिसूचना दिनांक 7.5.92 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक हैं।

अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के मत से राज्य सरकार की सहमति व्यक्त करते हुये प्रस्ताव की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रस्तावानुसार नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग के परिवर्तन तथा 75 पेडों को काटने की स्वीकृति प्रदान करावें ।

भवदीय

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

Sd.
अतिरिक्त सचिव

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक दिनांक 3.11.07 के कम में सूचनार्थ प्रेषित हैं ।

सहायक शासन सचिव

P-66/C

APCCF (FC)
18/6/09

2446
23.9.09

SP 93

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2324025

पत्र सं० 8 बी/राज0/06/13/2009/एफ.सी. 677

दिनॉक : 08.09.2009

सेवा मे,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0 8 के किमी 115 से 116 के (2.852 हे0) मध्य नया टोल प्लाजा बनाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : अतिरिक्त सचिव, राजस्थान शासन, जयपुर का पत्रांक प01(139)वन/2007/जयपुर, दिनॉकः 18/06/2009

P. 92/c

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि प्रस्तावित शाहजहॉं टोल प्लाजा लगभग 2 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था, और इस पर विधिवत् दो वर्षो से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा था किन्तु फिर भी वन (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन को छिपाया गया एवं मात्र मूज घास साफ कर कार्य प्रारम्भ करने की सूचना दी गयी, इसके लिए तत्कालीन परियोजना निदेशक श्री एच0 सी0 अग्रवाल, परियोजना निदेशक रा0उ0 पथ सं0 8, महाप्रबन्धक रा0उ0 पथ सं0 8, प्रबन्ध निदेशक, निर्माणकर्ता कम्पनी तथा उप वन संरक्षक, सा0वा0 प्रमण्डल, अलवर, दोषी है। इनके नाम एक सप्ताह में सूचित किये जाय।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने एवं 75 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्ति वनभूमि 5.704 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण अवनत वनभूमि पर करायेगा एवं पॉच वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. याचक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि जमा किया जायेगा।
4. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।
5. प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ हैं। अतः दुगने अवनत वनभूमि अर्थात 2 x 2.852 हे0 = 5.704 हे0 पर दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि याचक विभाग द्वारा जमा की जायेगी। दण्डात्मक वृक्षारोपण की योजना, मानचित्र एवं भूमि का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी प्रेषित करें।
6. वन संरक्षण अधिनियम में उल्लंघनकर्ता परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्धक एवं वन प्रमुख पदाधिकारी तथा निर्माणकर्ता एजेन्सी के नाम व पता प्रस्तुत किये जाय, जिससे उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त महानिदेशक, (वन संरक्षण)., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, सा0वा0 वन प्रभाग, अलवर, राजस्थान।
4. प्रोजेक्ट डाइरेक्टर, एन0एच0 ए0 ऑफ इंडिया, कोरीडोर मैनेजमेन्ट यूनिट, कोटपुतली, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली ।

श्री अरविन्द

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

Kindly attention To CGM, NHAI, Jaipur

Fax 0141-2358095 2245143

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

95 (98)

कमांकः एफ14(एनएच)2007/वसु/प्रमुवसं/ 6166 दिनांकः 1.10.09

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
कोरीडोर मैनेजमेंट यूनिट,
कोटपूतली (राज0)

विषयः दिल्ली जयपुर रोड एनएच 8 के किमी 115 से 116 के मध्य (2.852 है0) नया टोल प्लाजा बनाने के संबंध में ।

सन्दर्भः भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) लखनउ का पत्रांक 8 बी/राज/06/13/ 2009/ एफसी/ 677 दि. 8.9.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार ने दिल्ली–जयपुर रोड एनएच 8 के किमी 115–116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने एंव 75 पेडों के पातन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है ।

अतः भारत सरकार द्वारा उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति कर अनुपालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, अलवर एंव मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवायें ।

संलग्नः– उक्तानुसार ।

भवदीय,
30.9.09
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ14(एनएच)2007/वसु/प्रमुवसं/ 6167–68 दिनांकः 1.10.09

प्रतिलिपिः– निम्न को संदर्भित पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर ।
2. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर ।

संलग्नः– उक्तानुसार ।

30/9/09
उप वन संरक्षक,
एफसीए, राजस्थान, जयपुर

a

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

102 99

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज0/06/13/2009/एफ0सी0/251

दिनांक: 18.06.2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय:– 5 वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बाद भी सैद्धांतिक स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालना न प्राप्त होने के कारण स्वीकृति को रद्द करना।

संदर्भ:– इस कार्यालय का पत्रांक –8बी/राज0/06/13/2009/एफ0सी0/1512, दिनांक–04.02.2015

महोदय,

आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्या–8बी/राज0/06/13/2009/एफ0सी0/677, दिनांक–08.09.2009 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत प्रकरण, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 5 वर्षों से ज्यादा की अवधि व्यतीत होने के बाद भी शर्तों की अनुपालना प्राप्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से यह कालातीत हो गया है और वन संरक्षण अधिनियम, 2014 के धारा 8 (2) (ए) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस स्वीकृति को रद्द करना प्रस्तावित है–

1. प्रस्ताव का नाम	दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0–8 के किमी0 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने के संबंध में।
2. राज्य क्रम संख्या	प01(139)वन/2007, दिनांक– 18.06.2009
3. प्रयोक्ता अभिकरण	परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, कॉरीडोर, मैनेजमेंट यूनिट, कोटपुतली, राजस्थान।
4. वन क्षेत्र एवं वन प्रभाग	2.952 हे0, उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, अलवर, राजस्थान।

उक्त प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गयी थी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना पत्र जारी होने के 45 दिनों के भीतर उपलब्ध करायें अन्यथा प्रस्ताव में दी गयी स्वीकृति को रद्द कर दिया जायेगा किन्तु 45 दिनों की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति के उल्लिखित शर्तों की अनुपालना 5 वर्षों से ज्यादा की अवधि व्यतीत होने के बाद भी न प्राप्त होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम, 2014 के धारा 8 (2) (ए) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में जारी स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर उक्त प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किया जात है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे और सम्बन्धित अधिनियम/नियम के तहत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ:–

1. अति वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालवा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान
4. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, अलवर, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, कॉरीडोर, मैनेजमेंट यूनिट, कोटपुतली, राजस्थान।
6. आदेश पत्रावली।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केंद्रीय)

104

101

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ14(एनएच)2007/वसु (एफसीए)/प्रमुवसं/4369 दिनांकः 15/7/15

मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
बी–1, नित्यानन्द नगर, क्विंस रोड़,
वैशालीनगर, जयपुर ।

विषयः– दिल्ली–जयपुर रोड़ एनएच–8 के किमी. 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने के संबंध में।
संदर्भः–इस कार्यालय का सम संख्यक पत्रांक 826–28 दि. 2.3.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) लखनऊ के पत्र सं. 8 बी/राज/06/13/2009/एफसी/253 दिनांक 18 जून, 2015 की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार के पूर्व सम संख्यक पत्रांक 677 दि. 8.9.09 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट 5 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी प्राप्त नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति को रद्द कर दिया गया है ।

अतः उक्त प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आपके विभाग की होगीं।

संलग्नः– उक्तानुसार ।

भवदीय,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ14(एनएच)2007/वसु (एफसीए)/प्रमुवसं/4370-71 दिनांकः 15/7/15
प्रतिलिपिः–निम्न को भारत सरकार के पत्र दि. 18 जून, 2015 की प्रति सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने देना सुनिश्चित करावें।

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर ।
2. उप वन संरक्षक, अलवर ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

E/: Office documents/a

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर
Project Implementation Unit, Jaipur
डी-148, आर.एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021
D-148, Behind RSEB Sub-Station, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141-2351427
फैक्स / Fax : 91-141-4026465
ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org

क्रमांक: 23040/भाराराप्रा/जेपीआर/वन विभाग/एमकेएस/2019/281 दिनांक 29.04.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., जयपुर

विषयः–दिल्ली – जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 118 के मध्य नया टोल प्लाजा के निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमान् आपके पत्र दिनांक 11.04.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें इस सम्बन्ध में मुझे निम्नानुसार अवगत् कराना है कि:

1. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र संख्या 677 दिनांक 08.09.2009 (संलग्नक–1) के द्वारा जयपुर–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गई थी, जिन शर्तो की पालना भाराराप्रा द्वारा की जानी थी।

2. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैद्वांतिक स्वीकृति अतिरिक्त सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 18.06.2009 (**संलग्नक–2**) के कम में जारी की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि 2.85 हैक्टेयर वन भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर वन भूमि में सम्मिलित है एंव उक्त वन भूमि मे से मात्र 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

3. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैद्वातिक स्वीकृति में यह उल्लेखित किया है कि उक्त टोल प्लाजा 2 वर्ष पूर्व अर्थात 2007 से शुल्क संग्रहण का कार्य किया जा रहा है अर्थात वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन सैद्वांतिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व ही हो गया था। अर्थात सैद्वांतिक स्वीकति के पश्चात् वन संरक्षण अधिनियम का कोई भी उल्लंघन भाराराप्रा स्तर से नही किया गया है।

   उक्त के अतिरिक्त इस प्रकरण में अवगत् कराना है कि पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोटपूतली का कार्यालय बिलासपुर में था एंव आपके द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण हेतु जितने भी पत्राचार किये गये सभी कोटपूतली कार्यालय को किये गये परन्तु दिनांक जुलाई 2009 (**संलग्नक–3**) में कोटपूतली इकाई का जयपुर इकाई में विलय कर दिया गया था। इस कारण उक्त पत्र एंव उसके बाद के सभी पत्र परियोजना प्रबंधन इकाई, कोटपूतली में जाते रहे परन्तु इस कार्यालय को प्राप्त नही हुए। प्रथम बार आपके पत्र दिनांक 02.03.2015 (**संलग्नक–4**) के माध्यम से उक्त प्रकरण की जानकारी इस कार्यालय को हुई, जिसके कम मे इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 16.03.2015 (**संलग्नक–5**) के माध्यम से पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ का पत्र दिनांक 08.09.2009 उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जिससे यह कार्यालय सैद्वांतिक स्वीकृति की शर्तो से भिज्ञ होकर उनकी पालना करता।

4. परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पत्र के कम में सूचना प्राप्त नही होने पर इस कार्यालय के प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत् रूप से उप वन संरक्षक, अलवर एंव आपके कार्यालय से सम्पर्क करके इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्राचार की प्रतियॉ प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रकियारत थी परन्तु इसी बीच माह जुलाई 2015 (**संलग्नक–6**) में निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होते ही इस कार्यालय द्वारा पत्र

दिनांक 09.09.2015 (**संलग्नक–7**) के द्वारा पूर्व पत्र इस कार्यालय को नही मिलने के कारण उक्त सैद्वांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो का परिपालन नही होने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा खेद व्यक्त करते हुए आपसे पुनः अनुरोध किया गया था कि उक्त वर्णित सैद्वातिंक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुर्नविचार करते हुए इस कार्यालय को उक्त शर्तो का पालन करने हेतु अनुमति दी जाए परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नही हुए है।

उपरोक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत् रखते हुए निम्नानुसार अनुरोध करना है कि:

1. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा जारी की गई सैद्वांतिक सहमति दिनांक 08.09.2009 एंव उसके बाद के पत्र भाराराप्रा के कार्यालय का स्थान परिवर्तन होने के कारण इस कार्यालय को प्राप्त नही हो पाई जिसके कारण सैद्वांतिक सहमति की शर्तो का अनुपालन नही किया जा सका।

2. चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण का कार्य 2007 से ही चल रहा था जैसा कि आपके पत्र दिनांक 08.09.2009 में वर्णित है बाद में वन संरक्षण अधिनियम का इस कार्यालय द्वारा कोई उल्लंघन नही किया गया।

3. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा वर्ष 1996 में अपने पत्रांक 8–103/95–एफसी दिनांक 21.06.1996 (**संलग्नक–8**) के द्वारा 96 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 के चारलेनीकरण हेतु किया गया था। कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण केन्द्र बनाने हेतु आवश्यक भूमि 2.58 हैक्टेयर भी पूर्व में प्रत्यावर्तित भूमि का भाग है, कई स्तरो पर काफी पत्राचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि मात्र 240 वर्गमीटर (जिसमे शुल्क संग्रहण केन्द्र बनना था) का भूमि उपयोग परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। आपको अवगत् कराना है कि शुल्क संग्रहण केन्द्र को निर्माण भी मार्ग निर्माण का ही भाग होता है, जैसा कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में भी उल्लेखित है (**संलग्नक–9**) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुल्क संग्रहण (भारत सरकार राजस्व) का कार्य वर्ष 2007 से किया जा रहा था वह यही मानकर किया जा रहा था कि शुल्क संग्रहण का कार्य भी मार्ग निर्माण का भाग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी भी नियम का उल्लंघन करने का उद्देश्य नही रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यो को ध्यान में रखते हुए कृपया दिनांक 15. 07.2015 द्वारा किये गये निरस्तीकरण आदेश पर पुर्नविचार करते हुए इस कार्यालय को यथोचित् निर्देश देने की कृपा करे, जिससे इस प्रकरण को अन्तिम रूप दिया जा सके, जिसके लिए मै आपका आभारी रहूगॉ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार (संलग्नक 1 से 9)

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई जयपुर।

प्रतिलिपिः **मुख्य महाप्रबंधक (तक.)/ क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा, जयपुर** को इस अनुरोध के साथ प्रेंषित है कि कृपया अपने स्तर से प.का.ई द्वारा वर्णित तथ्यो से अवगत कराते हुए पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ को सैद्वांतिक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुर्नविचार करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,एफ.सी.ए., जयपुर से अनुरोध करने की कृपा करें।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14(एन.एच.)2007/वसु (एफसीए)/प्रमुवसं/ दिनांकः

परियोजना निदेशक
NHAI, परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
D-148, RSEB सब स्टेशन के पीछे,
वैशाली नगर, जयपुर–302021

Receipt No. 1780 दिनांक 3/6/19 NHAI, R.O. JAIPUR

GM(T)

विषयः–दिल्ली–जयपुर रोड़ एनएच–8 के कि.मी. 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्रांक 281 दिनांक 29.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में आपसे दिनांक 30.04.2019 को हुई वार्ता अनुरूप प्रकरण में कोई पालना (राशि जमा एवं अन्य शर्तों) नहीं हुई है। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 08.09.2009 को रद्द कर दी गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार के परिपत्र दि. 21.05.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार Fresh Proposal Submit करना वांछनीय है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

क्रमांक 743 6/6/19

भवदीय,

(आर. के. सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ 14(एन.एच.)2007/एफसीए/प्रमुवसं/ 1706-10 दिनांक 23.5.19

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. चीफ जनरल मैनेजर (टेकनीकल) कम रीजनल ऑफिसर, राजस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय (राजस्थान) एफ–120, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर –302019
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, अलवर।

(गणेश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

NO NHAI/15017/5/2019-RO/ 760 dt 3/6/19

Copy forwarded to PD, Jaipur for immediate further action/ appropriate reply to Forest Deptt. This is very serious matter ...

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल के पास, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

घर-घर औषधि योजना

क्रमांक : एफ18(63)एफसीए/उवसं–अल./2021/5653

प्रेषिति:– दिनांक : 11/3/2021

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, जयपुर।

विषय:– Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भ:– Proposal No. : FP/RJ/ROAD/41266/2019 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन.एच. 8 पर चैनेज km. 115.00 to km. 116 के बीच टॉल प्लाजा निर्माण हेतु एन.एच. 8 के ROW में घोषित रक्षित वन भूमि पर इस वनमण्डल अधीन 2.852 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में उच्च कार्यालय से ऑनलाईन EDS प्राप्त हुए हैं, जो निम्नानुसार:–

1. There is violation in the proposal, so what action was taken against the concerned officers.
2. Calculation of penal NPV has to be taken.
3. Ca scheme / estimate should be given site specific.

अतः उक्त प्रस्ताव में प्राप्त ऑनलाईन EDS के बिन्दु 1 की पूर्ती करते हुए इस कार्यालय को भिजवायें ताकि प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भेजा जा सके।

भवदीय,

(ए.के. श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
अलवर

F:\my\fca \Letter fca312

Scanned with CamScanner

स्मरण पत्र

Apoorva Krishna Srivastava
I.F.S.
अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव
आई.एफ.एस.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
राजस्थान सरकार
DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS
ALWAR - 301001
उप वन संरक्षक, अलवर - 301001
Tel : 144-2701923 (o)
E-mail : dcf.alwr.forest@rajasthan.gov.in

अर्द्धशासकीय पत्रांक एफ18(63) एफ.सी.ए/उवसं/2022/1515
दिनांक : 01/04/2022

विषयः– Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

प्रिय श्री अजय आर्य जी,

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन.एच. 8 पर चैनेज km. 115.00 to km. 116 के बीच टॉल प्लाजा निर्माण हेतु एन.एच. 8 के ROW में घोषित रक्षित वन भूमि पर इस वनमण्डल अधीन 2.852 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में कार्यालय अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी (एफसीए) राज0 जयपुर से ऑनलाईन EDS There is violation in the proposal, so what action was taken against the concerned officers.

उक्त आक्षेप के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 5653 दिनांक 11.08.2021 से वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए (एन.एच.ए.आई) के दोषी अधिकारी, के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई थी। जिसके प्रत्युत्तर आपके पत्रांक 1055 दिनांक 23.08.2021 व 1819 दिनांक 02.12.2021 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। आप द्वारा टोल प्लाजा का निर्माण में वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किये जाने के बावजूद एक समान प्रत्युत्तर दिया जा रहा है जिसमें किसी अधिकारी का नाम स्पष्टता से नही लिया जा रहा है जो उचित नही है। इसलिए आप द्वारा अभी तक वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए दोषी अधिकारी का नाम व उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत नही कराया जिसके अभाव में प्रकरण की स्वीकृति के संबंध में प्रगति नही हो पा रही है जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी है।

अतः आप दोषी अधिकारी का नाम व उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही से शीघ्र अवगत करावें ताकि प्रकरण को उच्च कार्यालय भिजवाया जाना संभव हो सके।

शुभेच्छु

(ए0 के0 श्रीवास्तव)

श्री अजय आर्य जी,
पी.डी. (एन.एच.ए.आई) पी.आई.यू. ; जयपुर

F/A
PSR
4/4/22

पत्रांक एफ18(63) एफ.सी.ए/उवसं/2022/
दिनांक :
प्रतिलिपिः– श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

s/d
उप वन संरक्षक, अलवर

write a letter to PD, NHAI & endorse copy to Nodal
4/4/22

PAN D./Surveyor/DO Latter.docx/3

Scanned with CamScanner

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur
डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org

क्रमांकः 23040/भाराराप्रा/जेपीआर/वन/2022/ 581 दिनांक 03.06.20222

मुख्य महाप्रबन्धक (तक.)/क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एफ-120, जनपथ, श्यामनगर
जयपुर। जयपुर, राजस्थान

विषयः Diversion of 2.852 Ha. of forest land for construction to toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Delhi-Jaipur section of NH-08 District-Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980-reg.

संदर्भः 1. मुख्य वन संरक्षक, पत्रांक एफ 5( ) एफ.सी.ए/मुवसंज/2022/2171 दिनांक 12.04.2022
2. उप वन संरक्षक, अलवर का अर्द्धशासकीय पत्रांक एफ18(63)एफसीए/उवसं/2022/1915 दिनांक 01.04.2022 एंव ई.डी.एस दिनांक 19.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्र दिनांक 12.04.2022 का सदंर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सख्ंया 8 पर किमी. 115 से किमी. 116 के बीच टोल प्लाजा निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग अधिकार मे घोषित रक्षित भूमि पर वन मण्डल अलवर अधीन 2.852 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव मे कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर से आनलाईन EDS There is violation in the proposal, so what action taken against the concerned Officer जनरेट किया गया था। तथा इस सम्बन्ध मे दोषी अधिकारी का नाम व उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया है।

2. इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार उक्त कार्य वर्ष 2009 मे पूर्ण किया गया था। तथा उक्त समयावधि मे पकाई जयपुर परियोजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता थे। अतः उक्त प्रकरण मे उचित कार्यवाही आप द्वारा किया जाना सम्भव है।

भवदीय,

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई-जयपुर

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित हे।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः एफ18( )एफ.सी.ए./उवसं–अल./2023/3738 दिनांक : 29/11/23

निमित्त,

श्री हरिश चन्द्र,
प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
National Highways Authority of India,
D-148, Behind RSEB Sub-station,
Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.)

National Highways Authority of India
PIU Jaipur
Receipt No. 3031
Date: 7/12/23
PD(T) | Dy-M(T) | S.O./S. | Fin. | PP
Dilip

नोटिस

विषयः नोटिस अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 3A एवं 3B

संदर्भः वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 : FP/RJ/ROAD/41266/2019

1. वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/RJ/ROAD/41266/2019 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट है। उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में आप प्रयोक्ता अभिकरण हैं। इस प्रस्ताव में गैर वानिकी प्रयोजनार्थ प्रस्तावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है।
2. उक्त टोल प्लाजा का निर्माण वर्ष 2006 में किया गया। जिसका उल्लेख भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम सैद्धान्तिक स्वीकृति 8बी/राज/06/13/2009/एफ.सी./677 दिनांक 08.09.2009 (संलग्न) में किया गया है। इस सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात यूजर एजेन्सी द्वारा शर्तों की पालना नहीं की जाकर वर्ष 2019 में पुनः प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।
3. उक्त प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को दिनांक 23.07.2019 को प्राप्त होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 13.12.2020 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट पार्ट–।। में संलग्न है।
4. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया उक्त गैर वानिकी कार्य स्पष्ट रूप से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों एवं इसके संबंध में समय समय पर जारी निर्देयों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 3बी के अनुसार :–

"Where any offence under this Act has been committed –

(a) by any department of Government, the head of the department ; or

(b) by any authority, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to , the authority for the conduct of the business of the authority as well as the authority; shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to proceeded agaist and punished acoordingly."

F:\my\fca \Letter fca425

5. उक्त उल्लंघन के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा ए में निम्नानुसार दण्ड वर्णित है:–

"Whoever contravences or abts the contravention of any of the provisions of section 2, shall be punishable with simple imprisonment for a period which may extend to fifiteen days."

6. उल्लेखनीय है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपरोक्त वर्णित प्रावधान के अनुसार उक्त अधिनियम के उल्लंघन की जिम्मेदारी प्रयोक्त अभिकरण की होती है।

7. चूंकि आप उक्त प्रयोक्ता अभिकरण के कार्य सम्पादन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3बी के अनुसार उपरोक्त वर्णित उल्लंघन के लिए आप प्रथम दृष्टया उतरदायी प्रतीत होते हैं।

8. अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस की समय सीमा में उक्त उल्लंघन के संबंध में समस्त आवश्यक अभिलेख एवं स्वीकृतियां उपलब्ध करावे तथा यह भी स्पष्ट करें कि उक्त उल्लंघन के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3 के अंतर्गत क्यों न आपके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावे। नियत अवधि में आपसे कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर आपके विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। कृपया सनद रहे।

(ए0 के0 श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक,
अलवर

क्रमांकः एफ18( )एफ.सी.ए./उवसं–अल./2023/ दिनांक :

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए0, राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

s/d
उप वन संरक्षक,
अलवर

F:\my\fca \Letter fca426

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः एफ18( )एफ.सी.ए./उवसं–अल./2024/ 4107 दिनांक : 31/01/2024

निमित्त,

परियोजना निदेशक (राकेश गुप्ता तत्कालीन परियोजना निदेशक),

भा0रा0रा0 प्रा0 इकाई, जयपुर।

संदर्भः आपका पत्रांक 2226 दिनांक 14.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 : FP/RJ/ROAD/41266/2019 में आप प्रयोक्ता एजेन्सी नामित हैं। इस प्रस्ताव के संबंध में नि सक्षम स्वीकृति के आप द्वारा गैर वानिकी कार्य किया गया जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा ए व धारा 3बी अनुसार आपके विरूद्ध इस कार्यालय के पत्रांक 3738 दिनांक 29.11.2023 से आपसे 15 दिवस में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में मांगा गया था।

उक्त नोटिस के जवाब में आपके पत्रांक 2226 दिनांक 14.12.2023 से इस कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित प्रकरण (टॉल प्लाजा), पूर्व में प्रत्यावर्तित प्रकरण 6 लेन भा0रा0–08 हेतु प्रस्तावित वन भूमि में सम्मिलित थी। जबकि उक्त प्रत्यवर्तन प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि आपके पत्रांक 2172 दिनांक 30.12.2008 के द्वारा संलग्न प्रस्ताव के ANNEXURE-3 (FOREST DIVERSION ALWAR DETAILS OF PROTECTED FOREST LAND ALONG NH – 8) के अनुसार संलग्न क्षेत्र गणना रिपोर्ट में स्पष्ट लिखित है कि टॉल प्लाजा प्रकरण की वन भूमि उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित नही थी। (ANNEXURE-3 की प्रति संलग्न)

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में पुनः इस कार्यालय को 07 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिसमें यह स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी की गई मार्ग दर्शिका 2019 के पैरा सं0 1.21 के तहत कार्यवाही की जाये? यदि आपके द्वारा समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लेली जावेगी।

(ए0 के0 श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक,
अलवर

क्रमांकः एफ18( )एफ.सी.ए./उवसं–अल./2024/ दिनांक :

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए0, राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

उप वन संरक्षक,
अलवर

F:\my\fca \Letter fca487

RajKaj Ref
5455342

Signature valid
Digitally signed by Apoorva Krishna Srivastava
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.01.31 16:32:40 IST
Reason: Approved

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur
डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

क्रमांक: भाराराप्रा / जेपीआर / गु.को.ज. / वन / 2023 / 2226

दिनांक: 14.12.2023

उप वन संरक्षक
ज्योतिरावफुले सर्किल,
नयाबास, अलवर (राज) 301001

विषय: Diversion of 2.852 Ha. of forest land for construction to toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Delhi-Jaipur section of NH-08 District-Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980- **नोटिस अन्तर्गत वन सरंक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3A एवं 3B**

संदर्भः आपका पत्रांक 3738 दिनाक 29.11.2023 (वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/41266/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित नोटिस दिनांक 29.11.2023 के संदर्भ मे बिन्दुवार जवाब निम्न है:

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 08 किमी 107 / 180 से किमी 162 / 500 तक के चारलेनीकरण निर्माण हेतु, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 20.06.1996 के माध्यम से 92 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति सशर्त जारी की गई थी।
2. यह कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 08 के चारलेनीकरण से छःलेनीकरण के दौरान, आवश्यक टोल प्लाजा बनाये जाने हेतु कुल 2.852 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा पत्र कमांक 8बी / राज0 / 06 / 13 / 2009 / एफसी. / 677 दिनांक 08.09. 2009 से जारी की गयी थी।
3. इस कार्यालय के पूर्व पत्रों द्वारा भी अवगत कराया गया है कि पर्यावरण एंव वन मत्रांलय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनउ द्वारा वर्ष 1996 मे अपने पत्रांक 8-103 / 95-एफसी दिनांक 21.06.1996 द्वारा 92 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या -8 के चार लेनीकरण हेतु किया गया था। किमी. 115 से किमी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण केन्द्र बनाने हेतु आवश्यक भूमि 2.58 हैक्टेयर भी पूर्व मे प्रत्यावर्तित भूमि का भाग है। वन विभाग के मूल्याकंन अनुसार केवल मात्र 240 वर्गमीटर (जिसमे शुल्क संग्रहण केन्द्र बनना था) का भूमि उपयोग परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। आपको अवगत कराना है कि शुल्क संग्रहण केन्द्र को निर्माण भी मार्ग निर्माण का ही भाग होता है, जैसा कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र मे भी उल्लेखित है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुल्क संग्रहण (भारत सरकार राजस्व) का कार्य वर्ष 2007 से किया जा रहा था वह यही मानकर किया जा रहा था कि शुल्क संग्रहण का कार्य भी मार्ग निर्माण का भाग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी भी नियम का उल्लघंन करने का उद्द्वेश्य नही रहा है।
4. PCCF (HOFF) राजस्थान जयपुर के पत्रांक 1706 दिनांक 23.05.2019 द्वारा सैदान्तिक स्वीकृति हेतु नया प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये थे, जिसकी पालनार्थ भाराराप्रा पकाई जयपुर के पत्रांक 669 दिनांक 06. 06.2019 द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। साथ ही मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के पत्र कमांक 2171 दिनांक 12.04. 2022 के परिप्रेक्ष्य में भाराराप्रा पकाई जयपुर के पत्रांक 1988 दिनांक 11.11.2022 के माध्यम से पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त वर्णित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर पुर्नविचार करते हुये स्वीकृति जारी करने की कृपा करे एंव सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी नोटिस को निरस्त करने की कृपा करे।

14/12

परियोजना निदेशक

संलग्नः उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान अति.प्रधान मुख्य वन एंव नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए0 राजस्थान अरण्य भवन जयपुर
3. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन जयपुर।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः एफ18( )एफ.सी.ए./उवसं–अल./2023/5233 दिनांक : 13/04/2024

निमित्त,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इकाई,
जयपुर।

विषयः– Diversion of 2.852 ha. Of forest land for construction to toll plaza between km. 115.00 to km 116 at Dehli-Jaipur section of NH-08 District-Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भः– भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र दिनांक 15.06.2023 एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 677 दिनांक 08.09.2009 एवं आपका पत्रांक 281 दिनांक 29.04.2019 तथा आपका वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 : FP/RJ/ROAD/41266/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 : FP/RJ/ROAD/41266/2019 में आप प्रयोक्ता एजेन्सी नामित हैं। इस प्रस्ताव के प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है परन्तु संदर्भित पत्रों द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि नियत प्रक्रिया से पूर्व ही आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए वन भूमि पर गैरवानिकी कार्य सम्पादित किया गया है। इसके संबंध में निम्न बिन्दु की जानकारी प्रस्तुत करें:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 677 दिनांक 08.09.2009 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि शाहजहांपुर टोल–प्लाजा दिल्ली–जयपुर रोड, एन0एच0–8, कि0मी0 115 से 116 के मध्य नया टोल–प्लाजा बनाने हेतु वन भूमि के 2.582 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए डायवर्जन व 75 पेडो के पातन की स्वीकृति जारी हुई थी। इसी स्वीकृति में भारत सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया कि टोल–प्लाजा का निर्माण स्वीकृति से 03 वर्ष पूर्व ही निर्मित हो गया था। भारत सरकार ने इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना था और शर्त सं0 01 से 06 की पालना रिपोर्ट प्रेषित की जानी थी। लेकिन आपने अपने पत्र दिनांक 281 दिनांक 29.04.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि जुलाई, 2015 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त हो गई। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,

RajKaj Ref 6618633

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Kumar Hudda
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.04.13 15:32:20 IST
Reason: Approved

जयपुर का पत्र दिनांक 15.06.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए हैं।

अतः इस संबंध में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 08.09.2009 के बिन्दु सं0 06 की पालना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघनकर्ता

(1) जनवरी 2006 से जुलाई 2015 तक शाहजहांपुर टोल–प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे परियोजना निदेशकों के नाम, पता तथा मोबाईल नं0

(2) जनवरी 2006 से जुलाई 2015 तक शाहजहांपुर टोल–प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे परियोजना प्रबंधकों के नाम, पता तथा मोबाईल नं0

(3) 2.852 हैक्टेयर वनभूमि पर शाहजहांपुर टोल–प्लाजा बनाने वाली निर्माणकर्ता एजेन्सी का नाम, पता एवं मोबाईल नं0

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में इस कार्यालय को 07 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिसमें यह स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की जाये? यदि आपके द्वारा समयावधि में स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लेली जावेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक,
अलवर

क्रमांकः एफ18( )एफ.सी.ए./उवसं–अल./2023/5234-35 दिनांक : 13/04/2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए0, राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

उप वन संरक्षक,
अलवर

RajKaj Ref
6618633

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Kumar Hudda
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.04.13 16:32:20 IST
Reason: Approved